## GOVERNMENT BILL

### The National Anti-Doping Bill, 2022
### and
### Amendment for reference of the National Anti-Doping Bill, 2022, to Select Committee

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the National Anti-Doping Bill, 2022. Shri Anurag Singh Thakur to move a motion for consideration of the National Anti-Doping Bill, 2022.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I move:
"That the Bill to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation International Convention against doping in sport, and compliance of such other obligations and commitments thereunder and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

**श्री उपसभापति** : माननीय मंत्री जी, यदि आप बिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं।

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर**: उपसभापति महोदय, यह बिल लोक सभा में पास होने के बाद आज राज्य सभा के सभी माननीय सांसदों के समक्ष आया है। भारत में खेल और खिलाड़ियों के प्रति पिछले कुछ वर्षों में लगातार जागरूकता बढ़ी है और उपलब्धियां भी बढ़ी हैं। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले ओलंपिक्स, जो टोक्यो में हुए थे, हालांकि कोविड 19 की सिचुऐशन के कारण दुनिया भर में बहुत मुश्किलें थीं, उसके बावजूद भी भारत सरकार के माध्यम से खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं दी गईं और ओलंपिक्स खेल में आज तक के सबसे ज्यादा सात मेडल्स जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। ट्रैक एंड फील्ड में 121 वर्ष में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला और नीरज चोपड़ा ने उसको जीतने का काम किया। यह भी पिछले टोक्यो ओलंपिक में हुआ था। इस तरह से पिछली बार जब 2016 में पैरालम्पिक्स हुए, तो उस समय 19 लोगों का कंटेंजेंट गया था, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 19 मेडल्स पैरालम्पिक्स में जीते। ये आज तक के सबसे ज्यादा मेडल्स हैं। Deaflympics में हमने 16 मेडल्स जीते हैं और ये भी सबसे ज्यादा हैं। सर, प्रश्न यह खड़ा होता है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है और यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, जब वर्ष 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो उससे पहले रूल्स बने और एनडीटीएल को यहां बनाने का काम किया गया, लेकिन कुछ वर्ष पहले हमारी लैब को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बारे में मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। कुल मिलाकर मैं यह कहूंगा कि हमारे बिल के सेल्यिंट फीचर्स क्या हैं, मैं उन पर थोड़ा प्रकाश जरूर डालूंगा।

Sir, the proposed Bill intends to accomplish building institutional capabilities in anti-doping and enabling hosting of major sporting events, protecting rights of all sportspersons, ensuring time-bound justice to athletes, enhancing co-operation among agencies in fighting doping in sports, reinforcing India's commitment to international obligation for clean sports, independent mechanism for anti-doping adjudication, providing legal sanctity to anti-doping agency which we generally call NADA and NDTL which is National Dope Testing Laboratory, establishing more dope testing labs, creating job opportunities, both directly and indirectly, and creating opportunities for academic research, science and manufacturing relating to the anti-doping.

सर, कुल मिलाकर इससे खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति डोप करता है और वह टैस्ट में पाया जाता है, तो न केवल उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है, बल्कि इसके साथ-साथ हमारे मेडल जीतने की संख्या भी उस दृष्टि से कम हो जाती है। इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े, टैस्टिंग भी हो, सुविधाएं भी बढ़ें, इसलिए खेल और खिलाड़ियों के हित में यह बिल लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस पर सकारात्मक चर्चा होगी, और जो भी विषय इसके बीच में आएंगे, उनका मैं बाद में विस्तार से उत्तर दूंगा। सर, आपका धन्यवाद।

**श्री उपसभापति** : मंत्री जी धन्यवाद। The motion moved. There is one amendment by Dr. John Brittas for reference of The National Anti-Doping Bill, 2022, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment, at this stage, without any speech. Mr. John Brittas, are your moving your amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation International Convention against doping in sport, and compliance of such other obligations and commitments thereunder and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya
2. Dr. John Brittas

3. Prof. Manoj Kumar Jha
4. Shri Jose K. Mani
5. Shri A.A. Rahim
6. Shri Tiruchi Siva
7. Dr. V. Sivadasan
8. Shri K.C. Venugopal

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (258th) of the Rajya Sabha."

*The questions were proposed.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment moved. The motion for consideration of the Bill and the Amendment moved thereto are now open for discussion. Now, *Mananiya* Deepender Singh Hooda. Now Shri Deepender Singh Hooda.

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** (हरियाणा) : माननीय उपसभापति जी, मारिया शरापोवा, लांस आर्मस्ट्रांग, डिएगो माराडोना, बेन जॉनसन, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे भारत के धनलक्ष्मी और एश्वर्या बाबू, ये वे नाम हैं, अगर हम यह सूची पढ़ें और आज डोपिंग बिल पर डिस्कशन में इनकी बात न करें, तो उचित नहीं होगा। यह अपने-अपने खेलों में प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। मारिया शरापोवा से लेकर लांस आर्मस्ट्रांग और डिएगो माराडोना तक, पीढ़ियां इनको आदर्श के रूप में देखती हैं। हर कोई माराडोना जैसा फुटबॉलर बनना चाहेगा। ...(**व्यवधान**)... लेकिन यह वह सूची है, जो डोपिंग में आए हैं।

**श्री उपसभापति :** आप चेयर को एड्रेस करें।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :** यह सूची उन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की है, जिन्होंने डोपिंग के अंदर कहीं न कहीं पॉज़िटिव टैस्ट किया है और खेलों की, खिलाड़ियों की गरिमा को गिराने का काम किया है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग पर नियंत्रण लाने के लिए प्रयास हो रहे हैं और भारत उन प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। यह राजनीति से ऊपर का विषय है। मैं खेल-खिलाड़ियों के किसी भी विषय को राजनीति से ऊपर मानता हूं। यह जो बिल लाया गया है, हम इस बिल का समर्थन करने के लिए यहां खड़े हुए हैं। यह बिल क्यों लाया गया है, इसके बारे में अनुराग जी ने थोड़ा सा जिक्र किया है। मुख्यतः इंटरनेशनल लेवल पर एंटी-डोपिंग का जो लेजिस्लेशन है, यह पिछले बीस साल से धीरे-धीरे शेप में आया है। सबसे पहले 1999 से लेकर 2002 तक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेन्सी का एक फाउंडेशन बोर्ड बना, हमारी सरकार भी उस

फाउंडेशन बोर्ड की सदस्य थी। जैसा आपने यूनेस्को के संबंध में बताया, International Convention Against Doping in Sports, यह 2005 में आया। उसे हमारी सरकार ने 2007 में रैटिफाई किया। 2009 में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेन्सी की स्थापना की गई और नेशनल डोप टैस्टिंग लैब भी हिंदुस्तान में स्थापित किया गया। उसके बाद जैसे-जैसे डोपिंग की परिस्थितियां बदलीं, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेन्सी है, जिसका अनुराग जी ने जिक्र किया, उनका जो कन्वेन्शन है, उसे हम पूरी तरह से फॉलो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक एक इश्यू रेज़ किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, operational independence of National Anti Doping Organizations, सारी दुनिया की ऑर्गनाइज़ेशन्स हैं, which are controlled by respective Union Governments. उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारें हैं, उसमें उन्होंने हमारे देश का अलग से जिक्र नहीं किया, सभी सरकारों का जिक्र किया कि यह undue influence and conflict of interest है। उन्होंने 1 जनवरी, 2021 को स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन या नया कोड प्रकाशित किया कि जितनी भी नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइज़ेशन्स हैं, जिसमें हमारी नाडा भी है, उनको ऑपरेशनली सरकारों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक तरफ यह कोड आया और दूसरी तरफ इस दौरान 2019 में, जो हमारे देश की नेशनल डोप टैस्टिंग लैबोरेटरी थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद हमारी टैस्टिंग बहुत लिमिटेड हो गई। हिंदुस्तान में टैस्टिंग बंद हो गई और जो सैम्पल्स कलेक्ट हुए, उन्हें हमको बाहर भेजना पड़ा। अब जाकर उसको एक्रेडिटेशन दुबारा मिला है, तो ऐसे में यह अनिवार्य था कि यह बिल लाया जाए और जो बॉडी बनी थी, नाडा, जो कि एक सोसाइटीज़ एक्ट में बनी थी, उसको स्टेट्युटरी बॉडी बनाया जाए। उसके साथ-साथ एक लार्जर फ्रेमवर्क, जो इन्होंने सेलिएन्ट फीचर्स बताए, जिसमें एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स बने। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्टेट्यूटरी बॉडी बन जाए, जिस बॉडी में डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस WADA की गाइडलाइंस के तहत हो। उसके साथ-साथ इसके अंदर अलग से दो पैनल बनें - एक डिसिप्लिनरी पैनल और एक अपील पैनल। दोनों के चेयरपर्सन्स बनें और उनकी सारी गाइडलाइन्स फॉलो की जाएं। यह उसमें आ गया है। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बिल को बहुत अच्छे तरीके से स्क्रूटिनाइज़ किया है। श्री विनय पी. सहस्त्रबुद्धे जी उसके चेयरमैन थे। उनकी भी रिपोर्ट सभा पटल पर आ चुकी है और मंत्रालय ने भी उनकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जिनको कहना आवश्यक है। महोदय, मैं पिछले बारह सालों तक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं, मैं हरियाणा रेस्लिंग फेडरेशन का भी प्रेज़िडेंट रहा हूं, इसलिए मुझे संतुष्टि है, क्योंकि बारह साल का पीरियड सबसे बड़ा टेन्योर होता है। रीसेंटली तक भी मैं हरियाणा रेस्लिंग फेडरेशन का प्रेज़िडेंट था, अनुराग जी जानते हैं, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारे देश के इतिहास में यह फेडरेशन सबसे सफल रही है। पिछले चार ओलंपिक्स में हमने देश को लगातार मैडल्स दिए हैं और ओलंपिक्स के 50 परसेंट मैडल्स केवल हरियाणा रेस्लिंग फेडरेशन से हमारे रेस्लर्स लेकर आए हैं। मैं आपको इसमें धरातल की कुछ बातों का सुझाव देना चाहता हूं, जो कि इस बिल से संबंधित हैं। कुछ बातें स्टैंडिंग कमेटी ने ध्यान में ली हैं, जैसे इसमें स्टैंडिंग कमेटी का एक बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन आपने उसको इसमें लिया नहीं है, वह यह है कि जो एथलीट्स हैं और जो खिलाड़ी हैं, उन सभी को 'ए' कैटेगिरी में रखा गया है। अगर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा, तो वह 'ए' कैटेगरी में ही होगा। उसमें दो अलग-अलग कैटेगरीज़ कर दी जाएं। माइनर के लिए स्वयं वाडा ने सोलह साल से कम के खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी

में रखा है। सर, क्योंकि खास तौर पर जो बहुत यंग एज के खिलाड़ी होते हैं, वे कई बार बहुत सी बातों से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके लिए अलग से प्रोविज़न हो, उनकी पैनल्टीज़ भी कम हों - ऐसा एक बहुत अच्छा सुझाव स्टैंडिंग कमेटी का आया था, इसलिए मैं भी आपसे इसके लिए आग्रह करता हूं, क्योंकि यह हमने भी देखा है। मैं आपको कुछ दूसरे सटीक सुझाव दे रहा हूं। अनुराग जी, आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई टैस्टिंग नहीं होती, हम स्टेट लेवल पर खेल आयोजित करते हैं, लेकिन कोई टैस्टिंग नहीं होती और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि नेशनल लेवल पर भी कोई टैस्टिंग नहीं होती है। यह बहुत कम है।

उपसभापति महोदय, आज मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं कि सरकार ने 'खेलो इंडिया' का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। मैं 'खेलो इंडिया' को उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि उसमें टैस्टिंग होती है, लेकिन स्पोर्ट्स फेडरेशन्स की और अलग-अलग खेलों की जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं हैं, उनमें टैस्टिंग नहीं होती है। उनमें अनिवार्य रूप से कोई टैस्टिंग नहीं है। मैं आपको यहाँ तक का उदाहरण दूंगा कि स्टेट चैंपियनशिप में या नेशनल चैंपियनशिप में कई बार खिलाड़ी नाडा के सामने अपनी अर्जी देते हैं कि हमें शक है कि दूसरा खिलाड़ी डोपिंग कर रहा है, लेकिन उस अर्जी पर भी उन्हें लगभग न के बराबर टैस्टिंग  का जवाब मिलता है और टैस्टिंग नहीं होती है। आज जब आप यह बिल लेकर आए हैं, तो इसमें आपने कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया है कि यह टैस्टिंग किस लेवल पर हो। आज हमारे देश की ओवरऑल 4 से 6 हज़ार सैंपल्स लेने की कैपेसिटी है। हमारे देश की टैस्टिंग के बारे में आपने ओवरऑल का अंदाज़ा दिया है, लेकिन मेरी मांग है कि यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर न जाएं, तो कम से कम नेशनल और स्टेट लेवल पर कहीं न कहीं यह टैस्टिंग होनी चाहिए।

महोदय, जो एलीट एथलीट्स हैं, हम उनकी लगातार टैस्टिंग करके उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्पर्द्धाओं के लिए फिट करके भेजना चाहते हैं, लेकिन यह शुरुआत कहां से हो रही है, हमें उस तरफ भी देखना चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेलों में जाकर देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, वहाँ पर सीरिंजिज़ पड़ी मिलेंगी। जब लांस आर्मस्ट्रांग, मारिया शरापोवा, डिएगो अरमांडो माराडोना डोपिंग कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपना सफर शुरू कर रहा है, उसे आगे बढ़ना है। सर, आप इसको निर्धारित कीजिए। यदि आप स्टेट चैंपियनशिप पर, नेशनल चैंपियनशिप पर रैंडम सैंपलिंग की बजाय यह तलवार लटका दें कि जो 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत खिलाड़ी हैं, उनकी टैस्टिंग जरूर होगी,  हर प्रतियोगिता में होगी, तो कम से कम उन पर कुछ तलवार लटकी रहेगी और हम वहाँ से क्लीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

अनुराग जी, इसमें एक और बात है कि जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है,  अभी वाडा ने जो इंडिपेंडेंस की बात कहीं कि जो नाडा है, यह सरकारी इन्फ्ल्युएंस से अलग होना चाहिए। कल को कहीं ऐसा न हो जाए कि किसी खिलाड़ी का सैंपल पॉज़िटिव आ जाए और अनुराग जी क्योंकि बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हैं और देश के खेल मंत्री हैं, इसलिए अलग-अलग लोग, सांसद आदि उन्हें फोन करें, और जिस क्षेत्र का वह खिलाड़ी है, उसके लिए उनसे कहें कि आप इनके लिए लिनिएंसी कर दीजिए। क्योंकि डिसिप्लिनरी पैनल के भी और अपील पैनल के भी चेयरमैन और मेम्बर्स सरकार ही लगा रही है और उनको हटाने की अनलिमिटेड पॉवर्स भी सरकार के पास ही

हैं, तो सरकार के हाथ में सारी बात आ गई है। अनुराग जी, इसमें एक सुझाव आया है और मैं उसको यहाँ पर देना चाहता हूं कि आप और जितनी भी रेग्युलेटरी बॉडीज़ देखेंगे - क्योंकि वे वैक्यूम में काम नहीं कर सकतीं, इसलिए सरकार को नियुक्ति करने में आखिरकार अपनी भूमिका निभानी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसी बहुत सी रेग्युलेटरी बॉडीज़ हैं, उनमें नियुक्ति के जो रूल्स हैं, वे क्लियरली डिफ़ाइन होते हैं। उनकी जो भी क्वालिफिकेशन हो, वही लोग नियुक्त हों। दूसरा, रूल्स के साथ-साथ अभी आपने ग्राउंड ऑफ रिमूवल की पावर बोर्ड को दे दी, जो बोर्ड आप बना रहे हैं, मगर बोर्ड डिसिप्लिनरी पैनल में और अपील पैनल में बिना कोई कारण बताये किसी को रिमूव कर सकता है, जो खिलाड़ियों का फैसला करेंगे। ग्राउंड ऑफ रिमूवल अच्छे से नोटेड हों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्लियरली नोटेड हों, जैसे बाकी रेग्युलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्राई है, बाकी हर क्षेत्र में रेग्युलेटरी बॉडीज़ हैं, उनमें ग्राउंड ऑफ रिमूवल को अच्छे से अंकित करने की एक अनिवार्यता से प्रावधान होता है। मैं मांग करता हूं कि यहां भी, इस बिल में नहीं है, मगर यहां भी अगर आप वह करें तो इससे बहुत सहूलियत होगी।

तीसरी बात, जो इस बिल के दायरे में नहीं है, लेकिन वह महत्वपूर्ण है। पहले तो इस बिल के माध्यम से जो एक डिसिप्लिनरी पैनल बन रहा है, अगर नाडा प्रॉसिक्यूटिंग अथॉरिटी है, नाडा को कोई खिलाड़ी पोज़िटिव मिला, वह उसके डिसिप्लिनरी पैनल में रिपोर्ट दे देगी, वह उस खिलाड़ी का प्रॉसिक्यूशन करेगी और वह डिसिप्लिनरी पैनल कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करने के बाद जो अपील है, अपील पैनल के बाद फाइनल अगर अपील करनी है, अगर किसी खिलाड़ी को उस कार्रवाई से संतोष नहीं है तो उसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, लॉसने, स्विटज़रलैंड जाना पड़ेगा। यह वाडा, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील उन द्वारा निर्धारित है, लेकिन आज दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या समूह अगर कहीं है तो एशिया में है। एशिया में दो मुल्क चीन और हिन्दुस्तान हैं, जहां सबसे अधिक आबादी है, ऐसे में स्विटज़रलैंड हमारा कोई खिलाड़ी अपील करने जाएगा तो कितना उस पर खर्च होगा! पहले भी हमने देखा, कई केस आये, मंजीत सिंह वर्सेज़ नाडा केस आया वे स्विटज़रलैंड तक गये, जो हमारे देश के खिलाड़ी मंजीत सिंह थे। ऐसे में मेरी मांग है कि आप वाडा के पास प्रयास करें, क्योंकि वाडा को भारत सरकार का भी सपोर्ट रहता है, जो हमारी टैस्टिंग लैब अभी डिस्क्रीट कर दी गई थी, उसके बाद भारत सरकार ने एक मिलियन डॉलर उनको रिसर्च के लिए ग्रांट दी, उसके बाद दोबारा से लैब ऐक्रेडिट की गई। इसलिए कम से कम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की एक बैंच हिन्दुस्तान में क्यों न बने। आज हम इस सदी को हिन्दुस्तान की सदी मानते हैं। हमारा भारतवर्ष दुनिया की पृष्ठभूमि में सबसे उभरता हुआ देश है तो हमारी मांग होनी चाहिए कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बैंच यूरोप में है तो एशिया में भी क्यों न हो, ताकि हमारे खिलाड़ियों को स्विटज़रलैंड में उसकी अपील न करनी पड़े, उससे अच्छा है कि हमारे देश के अंदर वे अपील कर सकें।

मैं एक और सुझाव इसमें देना चाहूंगा, आपने इस कानून में पनिशमेंट के जो प्रावधान किये हैं, वे प्रावधान जनरल हैं, उनमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। उनमें केवल आपने यह नहीं कहा है कि कितने समय तक बैन हो, यह कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ यह कहा है कि उनके मैडल वापस ले लिए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर फाइनेंशियल कार्रवाई की जाएगी इत्यादि। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका जिक्र किया है कि उस बारे में कुछ न कुछ स्पेसिफिसिटी आये कि

कितना प्रोपोर्शन टू ऑफेंस है, उसमें डिटरमिन यह हो, क्योंकि खिलाड़ियों का पीक कैरियर बहुत लिमिटेड होता है। यह पूरी पावर हम दे दें और अनलिमिटेड पावर दे दी जाये, जिसमें कोई गाइडलाइंस न हों और वे कुछ भी कर सकें तो कहीं न कहीं उसमें कुछ स्पेसिफिक आप जरूर वह बात लायें। आज देश के खेल की बात हो रही है और मैं यह समझता हूं कि अगर इसे आप अच्छे से करेंगे तो देश के खेलों की, खिलाड़ियों की साख बढ़ाने के लिए यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है। मुझे खुशी है कि हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी, जो स्वयं खेलों की पृष्ठभूमि से आते हैं, वे इस मंत्रालय को देख रहे हैं। ऐसे में इससे एक फ्रेमवर्क देने की बात है। हम अपने खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा प्रतिभा मानते हैं। हिन्दुस्तान के गांवों में हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रतिभा है, उनको बस फ्रेमवर्क देने की बात है और यह महत्वपूर्ण कदम है।

इसमें मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं, हमारे प्रदेशों में कुछ अच्छे तजुर्बे हुए हैं, उन्हें देश स्तर पर लागू किया जाये। मैं हरियाणा का उदाहरण देना चाहता हूं। हरियाणा हमारा छोटा सा प्रदेश है, वहां देश की दो प्रतिशत आबादी है। इस सदी से पहले अगर हम देखें तो पुराने समय में एशियाई खेलों में, कॉमनवेल्थ खेलों में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। हरियाणा में 2004 के बाद जब हमारी सरकार वहां पर आई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह अच्छा उदाहरण है, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हम हरियाणा में एक नीति लेकर आये, 'पदक लाओ, पद पाओ' और प्रतिष्ठा पाओ।' व्यापक स्तर पर उस नीति को हमने हरियाणा में लागू किया और जो दो प्रतिशत आबादी वाला प्रदेश है, उसका नतीजा यह हुआ कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 गोल्ड मेडल्स में से 22 गोल्ड मेडल्स अकेले हरियाणा प्रदेश के आये। आज भी अगर आप पिछले तीन एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों की बात करेंगे, तो 40 प्रतिशत मेडल्स अकेले हरियाणा के हैं और ओलंपिक खेलों में भारत के 50 प्रतिशत मेडल्स हरियाणा के हैं। आप पिछले ओलंपिक की बात कर रहे थे, पिछले ओलंपिक में दो ही मेडल्स मिले थे, निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। साक्षी मलिक और पी.वी. सिंधु ने पदक जीते थे, साक्षी मलिक हरियाणा से थीं। इस ओलंपिक खेल में भी चाहे हमारे नीरज चोपड़ा हों, चाहे रवि दहिया हों, चाहे बजरंग पूनिया हों, ऐसे खिलाड़ियों ने देश की, भारत माता की झोली मेडल्स से भरने का काम किया है। आज 40 से 50 प्रतिशत मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। एशियाई और यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ खेलों में अगर हम अलग से हरियाणा के मेडल्स रख दें, तो बड़े-बड़े मुल्क, जिनमें पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, उनसे दोगुने मेडल्स अकेले हरियाणा देश के लिए लेकर आ रहा है। हमें इस बात का गर्व है।

इसके पीछे हमारी दो-तीन नीतियाँ थीं। जैसे मैंने कहा, उनमें से एक थी - "पदक लाओ, पद पाओ"। हमारे यहाँ 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्त किया गया था। उसके साथ हमारी एक नीति थी - स्पोर्ट्स फिज़िकल एप्टीट्यूड टेस्ट (एसपीएटी)। यह हर स्कूल के बच्चे के लिए अनिवार्य था। अनिवार्यता के बाद जो 10 प्रतिशत बच्चे सबसे टॉप में आते थे, उनको 1,500 से 2,000 रुपए स्टाइपेंड मिलती थी। पहले जमाने में जो कहा जाता था कि "पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब", हरियाणा में हमने उसको बदलने का प्रयास किया। हमने कहा कि "अगर खेलोगे-कूदोगे तो होगे लाजवाब, पढ़ोगे-लिखोगे तो होगे कामयाब", दोनों रास्ते अच्छे हैं, ताकि हमारे देश और प्रदेश का युवा अच्छी दिशा में जाए। इसके अलावा, व्यापक स्तर पर 500 से ज्यादा ग्रामीण स्तर पर

खेल स्टेडियम्स बनाए गए और उन स्टेडियम्स के अंदर बड़ी एकेडमीज़, कोच आदि की नियुक्ति की गई, डाइट आदि के प्रावधान किए गए। इसका नतीजा यह आया कि आज हरियाणा के खिलाड़ी आगे बढ़ पाए। मैं अनुराग जी से यह आग्रह करूँगा और यह मेरी माँग भी है कि ये जो कुछ नीतियाँ थीं, वे उनको अपनाएँ। आज अगर आप "खेलो इंडिया" देखें, तो लगता है कि उसमें एसपीएटी से कहीं न कहीं कुछ अंश लिए गए हैं। हमें इस बात की खुशी है। हमारी और भी जो नीतियाँ थीं, खास तौर पर "पदक लाओ, पद पाओ", इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज खिलाड़ी डोपिंग क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जीत गए, तो सब कुछ है और हार गए तो कुछ नहीं है। मगर जो इस तरह की नीतियाँ बनती हैं, उनमें अगर खिलाड़ी एक लेवल तक पहुँच जाए और उसको सरकारी रोजगार दिया जाए, तो उसको कहीं न कहीं अपने भविष्य को लेकर इतनी चिंता नहीं रहती है। इस नीति को आप राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएँ, ताकि देश की, भारत माता की झोली भारत माता के नौजवान मेडल्स से भर दें और आने वाले समय में हम दुनिया के अंदर आगे पहुँच पाएँ। इसके साथ मैं यह भी आग्रह करूँगा कि आप हरियाणा सरकार को भी इसके लिए कहें, क्योंकि हरियाणा में जो खिलाड़ियों का तीन प्रतिशत कोटा था, वह बंद हो गया है। पहले जो डीएसपी लगते थे, अभी 8 साल से कोई डीएसपी नियुक्त नहीं हुआ है। ऐसे पुराने सारे एथलीट्स थे - विजेंदर सिंह, बॉक्सर, हरियाणा पुलिस में डीएसपी; योगेश्वर पहलवान, हरियाणा पुलिस में डीएसपी; बबीता फोगाट, हरियाणा पुलिस में डीएसपी। उस समय सारे खिलाड़ी आए थे। लेकिन अगर आप अभी देखें, तो ओलंपिक में दो ही मेडल्स आए थे, जिनमें हमारी एक बेटी साक्षी मलिक थीं। वे पिछले 5 साल से प्रयासरत हैं, मगर उनको कहीं नियुक्ति नहीं मिली। अभी इस ओलंपिक में रवि दहिया, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा के जो मेडल्स आए हैं, मैं उनका क्या ज़िक्र करूँ, पिछले ओलंपिक में ही किसी को नियुक्ति नहीं मिली। ये भारत माता की धरोहर हैं। खेल और खिलाड़ी, ये राजनीति से ऊपर होने चाहिए। जैसे पहले हमारी नीति थी, उस समय नियुक्तियाँ मिलती थीं। मैं आग्रह करूँगा कि आप हरियाणा सरकार से भी आग्रह करें कि उनको उसी पैटर्न पर नियुक्तियाँ मिलें। आप भी देश में इस खेल नीति को लागू करें। एक छोटा सा दो प्रतिशत आबादी वाला प्रदेश अगर देश के लिए 50 प्रतिशत मेडल्स जुटा सकता है, तो अगर आप इस नीति को पूरे देश में लेकर जाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि हम देश के खेलों में और ज्यादा आगे बढ़ पाएँगे। आज आप जिस सूझ बूझ के साथ यह बिल लेकर आए हैं, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। यह एक बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है, आपने एक एनवायरन्मेंट देने का प्रयास किया है। इससे खेल और खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा वातावरण बनेगा।

सर, "खेलो इंडिया" से संबंधित मेरा एक और आखिरी सुझाव है। मैंने "खेलो इंडिया" की प्रशंसा की कि "खेलो इंडिया" अच्छा काम कर रहा है। जब "खेलो इंडिया" की प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो जिस तरह से उनके खाने-पीने का, ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पहले यह नहीं किया जा रहा था। इस बात के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। 'खेलो इंडिया' में आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 'खेलो इंडिया' में एक कमी भी है। जो खिलाड़ी 'खेलो इंडिया' से जीत रहे हैं, उन विजेताओं को किसी न किसी सरकार में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नेशनल गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल्स लाते हैं, भारत सरकार के कई डिपार्टमेंट्स उनके सर्टिफिकेट्स को मान्यता देते हैं, चाहे हरियाणा सरकार हो, अन्य प्रदेशों

की सरकारें हों अथवा भारत सरकार में रेल मंत्रालय हो। मगर 'खेलो इंडिया' के जो विजेता हैं, उनको अभी तक न तो प्रदेश सरकारों की स्पोर्ट्स पॉलिसी में और न ही केन्द्र सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी में लाभ मिल रहा है। मेरी आपसे मांग है कि 'खेलो इंडिया' को भी अन्य नेशनल गेम्स की तरह लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से यह बिल लाने के लिए मैं माननीय अनुराग जी का धन्यवाद करता हूं और इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं।

**ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.)** (हरियाणा) **:** माननीय उपसभापति जी, जैसा माननीय दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बताया कि हिन्दुस्तान की मैडल्स tally में हरियाणा के 50 प्रतिशत मैडल्स होते हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि दीपेन्द्र जी के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि इस बिल में भी हरियाणा के सांसदों का 50 प्रतिशत कॉन्ट्रिब्यूशन होगा।

Second thing is, I do appreciate that the discussion on the Bill is above politics. A soldier will, certainly, appreciate it. Historically drug use was often sanctioned and encouraged by militaries through, including alcohol and tobacco, ration. परफॉर्मेंस इन्हांसर्स का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना पुराना बैटल और मैनकाइंड का इतिहास है। लोग ओपियम लेकर लड़ाइयों में जाते थे, जिनमें वे ओपियम एडिक्ट भी हो जाते थे और उसके कारण इन डिफरेंस टू डेंजर हो जाता था। Then came performance-enhancers, especially anabolic steroids and mephentarmine during wars. चूंकि इन चीज़ों से एपेटाइट कम हो जाता था और साथ ही साथ, they could do the job in a sustained manner. बाद में इसका नाम लिक्विड करेज कहा जाने लगा। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आ गई, 1960 के ओलिम्पिक में साइक्लिस्ट एनमार्क 100 किलोमीटर की दौड़ में गिर गए and he died on the spot. जब उनका पोस्टमॉर्टम हुआ, तो उसमें मेफेन्टर्मिन का लेवल काफी हाई मिला।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि ये परफॉर्मेंस एनहांसर्स तो हैं, लेकिन साथ में डेंजरस फॉर दि बॉडी भी हैं। डोपिंग मैटीरियल की डेफिनेशन यह है कि आपने एक ऐसा मैटीरियल, ऐसा कैमिकल या ऐसी दवाई ले ली जो नॉर्मली बॉडी में सिक्रीट ही नहीं होता, अगर होता भी है, तो उस लेवल में नहीं होता, जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है, इसीलिए आज इन डोपिंग मैटीरियल्स को रेगुलेट करने की बात हो रही है, बैन लगाने की बात हो रही है। इनको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए? अगर खिलाड़ी पकड़ा गया, तो उसको क्या पनिशमेंट होगी और उसके लिए कहां अपील होगी, it has been amply covered by hon. depender Singh.

महोदय, मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि खेल का जिक्र हो और हरियाणा का जिक्र न हो, तो वह अधूरा रहेगा। हरियाणा में एक कहावत है कि हरियाणा का छोरा और अब तो छोरी भी या तो खेत में या फौज में और या खेल में, अगर इन तीनों जगह नहीं हैं और उनको नौकरी भी नहीं मिली है, तो उनके जेल जाने के चांसेज़ भी बढ़ जाते हैं।

Because he is bubbling with youth, dynamism, energy, perseverance and fortitude. ऐसे आदमी को अगर बगैर नौकरी के छोड़ दिया जाए, तो फिर वह कबाड़ा कर सकता है। इसलिए मेरी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स से अपील है कि हरियाणा के जो ओलिम्पिक मेडलिस्ट्स हैं, उनको आप स्पोर्ट्स में नौकरी दें। जैसा कि इन्होंने कहा - 'पदक लाओ, पद पाओ', यह सच्ची

बात है। मगर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वैसे तो यूनिफॉर्म में मैंने चालीस साल बिताये हैं और मैं यह रिक्मेंड करता हूं कि इन्हें पुलिस में डीएसपी भर्ती कर दिया जाए। मैं एक डीएसपी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने भी जिक्र किया। हमने दो-तीन के बारे में नेगेटिव तो सुना, परंतु मैं एक पॉज़िटिव बात बताता हूं। ओलम्पियन श्री योगेश्वर दत्त को लंदन ओलिम्पिक्स में ब्रॉंज मेडल मिला। रशियन प्लेयर कुदुखोव रेसलर का डोप टैस्ट हुआ, डोप टैस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई and Yogeshwar Dutt was offered that his Bronze medal be upgraded to Silver Medal. In the meantime, wrestler Kudukhov died in an accident and kudos to Yogeshwar Dutt, he refused to take the medal and said, "Let it be a tribute, यह उस रेसलर के लिए श्रद्धांजलि रहने दो।" So, I would like to highlight the character of athletes and sportspersons.

महोदय, बात नौकरी की हो रही थी और हरियाणा की हो रही है। इसमें मैं दीपेन्द्र सिंह जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2004 से पहले भी हरियाणा का ही रोल था। फौजी परिवार से होने के बावजूद पहले नेशनल स्पोर्टस और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर हिंदुस्तान का कोई रोल था, तो वह फौज का था। सारी टीमें चाहे रेसलिंग की हो, चाहे उदय चंद हो, चंदगी राम हो, लाला राम हो, सज्जन सिंह हो, चाहे बॉक्सर मेहताब सिंह और कप्तान हवा सिंह हों, वे सारे फौज के थे और वे मैक्सिमम हरियाणा के थे। मैंने एक ऐसी रेजिमेंट में काम किया है, वह second battalion of The Jat Regiment थी, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स और स्पोर्ट्समेन थे। मगर नौकरी में मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा से इन रेसलर्स के बारे में बात की थी, जो डीएसपी लगे, तो एक प्रेक्टिकल ऑब्जर्वेशन आई, वे कहते हैं कि रेसलिंग के अलावा ये बाकी एग्जाम्स तो पास करें, वरना हरियाणा में तो सारे ही फौजी, सारे ही रेसलर्स हैं, फिर तो ये सारे पुलिस वाले रेसलर्स ही हो जाएंगे। मैं यह कहूंगा कि यह प्रेक्टिकल और फिज़िबल न होने की वजह से आपके माध्यम से बाकी स्टेट्स से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इनको आप एडजस्ट कीजिए, ताकि आपके मेडल्स भी आने शुरू हों। Of course, my compliments to P.V. Sindhu and P.T. Ushaji sitting here, दूसरी स्टेट्स में खासकर केरल की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और उसमें अगर खेल का नाम लें और sports eugenics की बात न करें, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एनाबोलिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से खासकर जीडीआर होता था। मेरी उम्र 73 हो गई है and I have been following sports quite keenly. उसमें स्टेरॉइड कहो, ट्रेनिंग कहो, यूजेनिक्स कहो, उसकी वजह से medal tally was heavily tilted towards the USSR and the Eastern European countries. जैसा कि मैंने यूजेनिक्स कहा।

मैं यहां खाप पंचायत को जरूर लाना चाहूंगा। खाप पंचायत वैसे तो सोशल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं to maintain stability, मगर उनका एक प्रिंसिपल था कि आप क्लोज़ रिलेशन में शादी नहीं करोगे, यानी in your clan, your mother's clan and your dadi's clan; means, cross breeding improves the breed.

यहाँ मैं आपके माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान से यह दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान में 5,000 ऐसी जातियाँ और सब-जातियाँ हैं कि they don't inter-marry. A nation means 'inter-marrying and inter-dinning'. When inter-marrying starts, our medal tally may improve

because of cross-breeding और जातिवाद से भी छुटकारा हो जाएगा। रही बात इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स की, ...(**व्यवधान**)... incentives for sports, ***...(Interruptions)...***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Please address the Chair.

**ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.)** : यस सर। ...(**व्यवधान**)... मैं इंसेंटिव्स पर यह जरूर कहूँगा कि ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : कृपया सीट पर बैठ कर बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)...

LET. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.): We advocate inter-religion also. ***...(Interruptions)...*** मैं यह कहूँगा कि इंसेंटिव्स की बात थी। इंसेंटिव्स पर तीन हिस्से में से एक हिस्सा तो बोल गये, मगर एक बेचारा फौजी भी शहीद होता है। अगर 5 करोड़, 6 करोड़ रुपये ओलम्पिक गोल्ड मेडल वाले को देते हैं, सिल्वर मेडल वाले को 3 करोड़ देते हैं, तो फौजी को हरेक स्टेट में एवरेज कम से कम 1 करोड़ ही दे दो और मैं तो यह रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर भी क्लैपिंग कर दो। ...(**व्यवधान**)... Rest, I will say, सर, मेरा टाइम बता दीजिए, क्योंकि..

**श्री उपसभापति** : आप अपनी बात कन्क्लूड कर रहे हैं?

**ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.)** : नहीं, मैं इतनी जल्दी कन्क्लूड करने के मूड में नहीं हूँ, मगर ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : आप बोलिए। अभी आपके पास समय है। ...(**व्यवधान**)... अभी समय है। पार्टी ने जो समय दे रखा है, वह समय अभी आपके पास है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़।

**ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.)** : सर, असल में आम तौर से मेरा पुराना एक्सपीरिएंस यह है कि जब मैं ठीक ट्यून में होता हूँ, तो बोल दिया जाता है कि बैठ जाइए और मैं बैठ जाता हूँ। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं एक बात इन लैबोरेटरीज़ के बारे में कहूँगा। मैं तो अनुराग जी को मुबारकबाद दूँगा, but he has got ample compliments from his friend on this issue of Khelo India Youth Games, Khelo India University Games and further encouragements, especially, giving to the young athletes and catching them young. उसके साथ-साथ मैं यह भी कहूँगा कि ऐसी ओरिएंटेशन जरूर की जाए कि बाद में they are not on the ground. इनको जॉब जरूर मिले। रही बात लैबोरेटरीज़ की, तो मैं एक बात लैबोरेटरीज़ की इंटिग्रिटी की करना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि एथलीट के हकूक़ को एनक्रोच अपॉन नहीं किया जाए। एनएबीएल लैबोरेटरीज़ के संबंध में मेरा एक एक्सपीरिएंस है। 'Nationally-accredited biological labs as a medical educationist.' उसमें मेरा एक्सपीरिएंस यह है कि सैम्पल अप्रूव करवाने में तो कम करप्शन है, यानी we have to accept in this country that from day one.

जो है, वह अनमैनेजेबल सा है, मगर सैम्पल रिजेक्ट कराने में ज्यादा बड़ा करप्शन है। इस चीज़ का शिकार एथलीट्स नहीं हो जाएँ, इसलिए कम से कम एनएबीएल की तरह इन लैबोरेटरीज़ की भी इंटिग्रिटी का खयाल रखा जाए।

माननीय दीपेन्द्र सिंह जी की एक और बात थी कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ रखी जाएँ। मैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। इन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, because we have a very bitter experience of statutory bodies and independent bodies. We dispensed with the Medical Council of India which became a 'State' within a State, and Delhi High Court had to tell or label it to be a 'den of corruption.' Until and unless some people's character improves, this tendency of 'State' within State may backfire. Therefore, there should be unity of command rather than multiplicity of commands, and unity of command is that it should come under the Government. And, it was not only the Medical Council of India; the Pharmacy Council of Haryana is also going on like this, as also the Dental Councils and other Councils. That means, this independence should be for the Government, not under the Government. Like soldiers, they should remain disciplined under the Government. I put it this way.

As far as the Standing Committee is concerned, the hon. Speaker, Lok Sabha, and Mr. Chairman, Rajya Sabha, had referred it to the Departmental-related Standing Committee and they made quite good recommendations to make it more user-friendly, and, those recommendations have been agreed to by the Minister. Still, rules have to be framed. In the rules, further relaxation can be given.

As far as the selections in Committees and Boards are concerned, certainly, men of integrity and men of professional integrity should be appointed to those posts. Otherwise, it will become another futile exercise. So, that aspect should be taken care of.

Then, I would like to bring it to everybody's notice, through you, Sir, that एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन का इज़्ज़त-ओ-इकबाल बुलंद रखने के लिए भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी एपरयोर्ट पर उनको खुशआमदीद कहने जाते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी सिर्फ हौसला अफजाई नहीं की जाती, बल्कि उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं और उन फैसिलिटीज़ का रिजल्ट यह है कि record for India - 7 medals. यह एक शुरुआत है। हम ऐसी era से ताल्लुक रखते हैं, जब मैडल का अकाल था, पूरे दक्षिण एशिया में एक भी मेडल नहीं होता था और जर्मनी की कोर्नेलिया इंडर जिम्नास्टिक्स में अकेली दस मेडल्स, Phelps of the U.S.A. won 10 medals. Still, in the Commonwealth Games, we are doing very well. It is okay as compared to the past performances. Especially these last eight years have really been excellent, but still a lot needs to be done because हिन्दुस्तान की पॉप्युलेशन करीबन दो करोड़ सालाना बढ़ती है, हरियाणा की पॉप्युलेशन पौने तीन करोड़ है, मगर ऑस्ट्रेलिया की तो टोटल पॉप्युलेशन हरियाणा से कम है और मेडल बहुत ज्यादा हैं। इस तरफ irrespective of the party position, we must

look into it and medical examinations should be brought in. मैं एथलीट्स के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा कि गाँव में कहते हैं कि भाई, छोरा 17 और 27 के बीच में आ गया, '17 और 27 के बीच में' means his excellent performance period is at that time because his reflexes are quick, his senses are very sensitive, but what happens after that? After that, आप देखेंगे कि कोच साहब आ रहे हैं, मैनेजर साहब आ रहे हैं, इतना बड़ा पेट है और मैनेजर रेसलिंग टीम का है, मैनेजर कुश्ती टीम का है, मैनेजर एथलेटिक्स का है। फौज एक ऐसा संगठन है, जहाँ पर जनरल भी प्रमोट होगा, तो उसका मेडिकल, वेट और हाइट दोबारा लिया जाता है तथा सामने का फोटो एवं साइड से फोटा भी लिया जाता है। इसी तरह से इनका भी constantly, they should be subjected to medical examination and physical examination. अगर वह खुद ही अनफिट हो, तो वह दूसरे को क्या एथलीट बनाएगा। This discipline should be imposed on the coaches, on managers and even on doctors who are accompanying the Olympic teams or for other international events.

**श्री उपसभापति** : डी. पी. वत्स जी, अब आप कन्क्लूड कर सकते हैं।

LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.): Okay, Sir. Thank you very much.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Thank you, Sir, and, Good afternoon to one and all. Sir, through you, I would like to put forward certain important points for kind consideration of our learned Minister, and, I propose these points to be incorporated or accommodated or considered for effective implementation of this Bill.

Sir, as we all know, WADA, that is, the World Anti-Doping Agency, was formed in 1990 under the International Olympic Committee. Then, WADA considered that there should be an Anti-Doping agency in each and every country, and, accordingly, NADA was formed in November, 2009 and it was registered as a society under the Societies Registration Act. After that, it was felt that as there was no legislation, certain decisions taken by this agency could be taken to court by some of the parties. So, there was a need for legislation, and, accordingly, it was proposed by the Standing Committee in 2020, and, thereafter, it has been converted into a statutory body.

Sir, there are certain drawbacks of this Act. Firstly, there is a provision of Director General of NADA but his qualifications are not yet mentioned in the Bill. Secondly, it has been mentioned categorically in the Bill that the Government may remove the Director General at any point of time from the office 'on such grounds' but those 'grounds' have not been mentioned in this Bill. Thirdly, it has been mentioned that the term for Director General would be three years but it might be extended subject to the decision taken by the Government of India. There is a clear cut meaning

that Director General will be bound to work as per the directives of the Government of India and he will be unable to work independently. Also, Sir, there is a provision of National Board, and, within the National Board, there is a provision of Disciplinary Panel. If there is a case of doping, this Disciplinary Panel can take the decision so far as punishment is concerned. There is also a provision for the Appeal Panel. If that particular athlete feels that injustice has been done to him, he can go to that Appeal Panel. Unfortunately, it has been mentioned that the Board can remove the members of these panels at any point of time and even they might not be given any chance of being heard. Here lies the question once again so far as independence of the authority is concerned.

Sir, as far as qualifications of its members are concerned, WADA has categorically mentioned that there should be specific guidelines for the qualification but this aspect is missing in the existing Bill. In Clause 11(2) and Clause 11(5) of this Bill, it is mentioned that the Disciplinary Panel will consist of one Chairperson and four Vice-Chairpersons and it has been mentioned that in the absence of the Chairperson, one Vice-Chairperson will take the lead role. But who will be this 'one Vice-chairperson' out of the four has not been mentioned clearly.

There are certain Standing Committee recommendations. Number one, Selection and Appointment mechanism should be clear and transparent. Number two, there should be clear cut discrimination between major and minor athletes and physically challenged athletes. Specific SOP are needed regarding the therapeutic use exemptions. There is much confusion and even many athletes do not know whether he can take a simple paracetamol or not. So, there should be adequate awareness as well. Penalty of an athlete should be proportionate to the amount of the offence done by that athlete. After the period of his punishment, he should be once again entitled to participate in each and every competition so far as medals and other things are concerned because we know that the duration of any athlete is very short. My next point is regarding the dope testing laboratory. It was very unfortunate to note that the only laboratory in India was banned for nearly one year. There are 29 accredited laboratories in the world while Asia is having six laboratories. Our suggestion is that each State should have one laboratory. Sir, I sincerely endorse the statement made by my Congress colleague that we should give our best possible effort to have one unit in our country instead of having it in Switzerland, and, if not possible, at least, have it in Asia. Sir, there is another confusion regarding 'athlete support personnel'. Who are the persons to be considered as 'athlete support personnel'? It needs to be mentioned clearly in the Bill.

My humble submission before the learned Minister will be this. We should look into it, so that these bodies and these organisations can act neutrally and independently and they are not directly governed by the Government of India. We have had enough discussion regarding *Khelo India*. I believe some day there will be enough discussion on * and thereafter in the country there will be *khela hobe*. We are waiting for that.

I strongly contradict the statement made by my BJP colleague who said that the MCI was corrupt and for the same the NMC was formed. I can cite several examples where NMC is being accused of so many irregularities. I strongly contradict him.

Last but not the least, I believe our Minister will take necessary steps so that this organization can work independently.* ...(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...(Interruptions)... Please speak on the subject. Only that will go on record.

SHRI N.R. ELANGO (Tamil Nadu): Sir, at the outset, I welcome the Bill. I will take it up Clause-by-Clause.

Clause 2(*za*) says what is "Prohibited List". "Prohibited List" means the list of prohibited substances and prohibited methods specified by the Agency by regulations. The "Prohibited List" itself is sub-delegated to some other authority to see what is going to be the "Prohibited List". I request the Government to consider it and incorporate a "Prohibited List" containing the list of prohibited substances. There cannot be any sub-delegation on this point.

Clause 2(*zh*) says "use" means the utilization, application, ingestion, injection or consumption by any means whatsoever of any prohibited substance or prohibited method. Again, the question comes what the "prohibited substance" is. The Bill is silent on what are all the prohibited substances are. The NDPS Act classifies what are all the prohibited substances are. This Bill is silent on the list of prohibited substance and who is going to decide that. This cannot be sub-delegated to some other authority. This House, the great Parliament has to decide what are all the prohibited substances.

Clause 4 is on Anti-Doping Rule violations. It requires further deliberation. The Anti-Doping Rule or violations of Anti-Doping Rule is not categorically stated. It needs further deliberation by this House.

---

* Not recorded.

Chapter III talks about constitution of National Board. The qualification of the Members is not given either for the Chairman or for the Members of the National Board. It is not specified in the Bill. In the case of TRAI and National Medical Council, the qualifications of the Members and the Chairman are specifically stated in the Act. This Bill is silent on the qualification of the Members and the Chairman. It will lead to appointment of persons by the choice of the Government in power. This will take away the independence of the Board itself. There should be some deliberation on this. There should be insertion of the qualification of the Members and the Chairman of the National Board.

Clause 19(*1*) in Chapter V says, "Where the Agency has reasons to believe that an athlete or athlete support personnel or any other person to whom this Act applies has committed an Anti-Doping Rule Violation, any person authorized by the Agency may, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure.."

[THE VICE-CHAIRMAN(DR. SASMIT PATRA) *in the Chair.*]

Now, it is a question of using a prohibited substance in a particular game or sports. Why should an authority be given a power to enter any place of the sportsperson, go on and trouble him, and search his place? When he is there in the ground, he should be subjected to anti-doping test. Authorities cannot be given a power to go and search his house or place or residence. This will put a great mental trauma on sportspersons. This should be considered. There are already provisions under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act about how this procedure of search and seizure has to be made. Prohibited substances under this Bill will have a different kind of procedure, namely, Criminal Procedure Code. So, this has to be considered by the Ministry and a clear-cut procedure for search and seizure should be made. Though there is a provision for appeal before an appellate panel, the recommendations of the Standing Committee have not been considered before drafting the Bill. First, the Anti-Doping Bill is the requirement of the day; it is the need of the hour. But the Bill has not considered the cases where a sportsperson is made to test positive in the anti-doping test through conspiracies. There are conspiracies to fail a person in this kind of test. There is no clause or section provided for conducting investigations whether a sportsperson was cheated and by conspiracy he tested positive. That has to be considered. In so many cases, through conspiracy, sportspersons are failed in the doping test. That has to be considered. The Standing Committee, in its recommendations, exhaustively stated the issues to be identified in this Bill. First is, there is no provision regarding the data procured by the authorized

agencies, namely, the personal data protection aspect of the accused of doping is not taken into account. Second is, there is no provision for the members of the disciplinary panel or the appellate panel and their removal. Third is, it fails to identify and make provisions in respect of applicability of the Bill to foreign athletes participating in India. There is no clause in the Bill for the foreign athletes who are going to participate in India. Fourth is, there is no provision regarding compensation in case of false positive tests which destroys the career and reputation of an athlete. The Ministry should definitely consider this and make sufficient provisions to compensate the persons who were made false positive due to conspiracy. Fifth is, seeking access to lab reports and hiring experts to interpret those reports can be expensive and time-consuming and, thus, it affects the careers of athletes. So, there should be a mechanism to expedite the reports to be given to the athlete to approach the appellate panel, and the decision by the appellate panel in a time-bound manner is a must. That is absent in the Bill. There is no provision regarding penalties to be imposed on supplement products companies engaged, in contamination of supplement products, which can result in potential doping. This recommendation of the Standing Committee has not been considered at all in the Bill. So, a wider consultation is required and the recommendations of the Standing Committee have to be again thought of and incorporated in the Bill. With that, I rest my case. Thank you.

3.00 **P.M.**

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Sir, I want to thank you for giving me this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill, 2022. I would also like to congratulate Sanket Mahadev Sargar for starting off India's medal tally at the Commonwealth Games, 2022 with claiming a silver in weightlifting and fellow lifter Gururaja Poojary for winning bronze medal as well as Saikhom Mirabai Chanu, who shattered Commonwealth Games records by winning India's first gold medal.

Coming back to this Anti-Doping Bill, as we are all aware, doping remains a very severe problem with India ranking third worldwide, according to the latest World Anti-Doping Agency (WADA) report released in 2022 with 152 cases across different sports. Such incidents affect the morale of the sportspersons and also disappoint the aspiring athletes who view them as their ideals and it also becomes a matter of national embarrassment.

Therefore, I welcome the National Anti-Doping Bill which seeks to rectify this problem as it is an important Bill, especially, considering the ongoing Commonwealth

Games and the increase in India's participation in sports inspired by our record Olympics tally last year.

There are a few positives that I would like to mention here. First is the protection towards athletes. As use of steroids and other doping substances disqualify athletes from any competitions and ban them from taking part in any competition for a long time, washing away their immense preparative efforts while also having a negative impact on their health, even resulting in their death in certain extreme cases, a Bill seeking to curb this problem is a good step towards protecting and looking after the safety of our country's athletes.

The next point is regarding inclusion of athlete support personnel. Under this new Bill, athlete support personnel described as "any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical or paramedical personnel or such other person working with or treating or assisting an athlete who is participating in, or preparing for, a competition or event at the national level or international level or to which this Act applies", will also be subjected to consequences of violation. Considering that, there are various cases of athletes testing positive due to supplements containing contaminated substances given to them by their coach or other staff members, subjecting them to punishments or fines or other disciplinary action will ensure more responsibility from their side as well and may lead to a decrease in such cases.

My next point is regarding Therapeutic Use Exemption (TUE). This Bill, in accordance with the International Standard for Therapeutic Use, shall grant certain athletes undergoing medical treatment to be allowed to take medicines or drugs included in the list of banned substances as an exemption. As sports persons throughout their career may sustain injuries that require such treatment, it is another positive addition to the Bill that will allow for regulation of banned substances as part of medical treatment.

Sir, I would like to put up a few of my observations. Most of the doping incidents in India are unintentional. In India, a number of athletes do not actually intend to use any enhancement drugs or steroids. However, a number of ordinary medicines that are meant to cure common pain or illness and even some daily use products also contain some amount of banned substances. A lack of knowledge regarding the presence of banned substances is the reason why most of the doping incidents in India take place. Recent estimates project these cases to be about 12 per year, that is, one athlete per month is caught out due to not carefully checking everything that is put into their body or being appropriately educated on their rights and responsibilities. Sir, the next observation is, responsibility is solely on the athletes. These regulations in the Bill make an athlete strictly liable for any banned

substance entering their body and, therefore, the burden of protecting their body against any such prohibited substance lies on the athletes themselves.

Therefore, the Bill should have provisions that call for the National Anti-Doping Agency or the National Board to take responsibility for protecting the athletes from instances of accidental ingestion through proper education and also proper labeling of supplements, medicines or other products that are likely to contain these banned substances.

Sir, now, there are a few suggestions, like localized awareness programmes. Across all the stakeholders, who are part of this ports industry, must be brought in the IEC Programme, that is, Information, Education and Communication Programmes must be brought in across all the stakeholders.

India is set to adopt the international Anti-Doping Rules verbatim without considering some ground realities and challenges that will eventually arise.

The National Anti-Doping Agency's educational programmes are conventional as the language mainly used is English, which may not be easy to understand by most of the athletes coming from rural backgrounds. Owing to this, there are many cases in which athletes have taken the plea of unknowingly commiting the violation due to lack of knowledge.

Thus, anti-doping programmes and presentations should be conducted in the vernacular language of the athletes as it helps in acquainting them better with the technicalities of doping. The Bill should also provide for a complete list of banned substances in regional languages to the athletes so that the athletes can have a better understanding relating to that.

Now, the point is about increasing the testing infrastructure. As per NADA's regulations, an athlete is expected to conduct research before consuming any supplement. However, there is lack of laboratories in India that carry out such specific tests on supplements, and if an athlete finds such a laboratory, the cost of carrying out the tests are high.

Also, the suspension of the country's National Dope-Testing Laboratory due to non-conformation to the International Standard for Laboratories posed additional problems for athletes, especially during the 2020 Olympics for which they had to get tested in laboratories outside India, as NDTL was prohibited from carrying out any anti-doping activities, including all analysis of urine and blood samples.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Yes, Sir. This points towards lack of infrastructure required for the proper adoption of anti-doping regulations. NDTL should be improved and more such labs should be set up in different States of India. So, trained personnel also have to be brought up across various levels. Mental pressure on athletes should be brought down. Sir, with all these things, I would like to say that sports without ethics and fair-play becomes a baseless competition. Hence, we need to protect our athletes, we need to bring back the true spirit of sports, one which is not tainted with any fear of losing. With these suggestions, I support this Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri K.R. Suresh Reddy.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, at the outset, I would like to congratulate all the sportspersons who have excelled at the Commonwealth Games and who have kept our country's flag flying high. I welcome this Bill and more so, feel re-assured that it is being piloted by a young Minister who is not only young but also very keenly involved in sports activities. So, I am sure the Bill and the mood of this House in their presentations would be taken in letter and spirit by the hon. Minister. I have a couple of suggestions and a couple of queries. Now, India signed this UNESCO Convention against doping in 2005 and you ratified it in 2007. Now, why has it taken almost 15 to 16 long years to bring in this Bill? We have seen the other day also, on Antarctica, that whenever international conventions are signed, treaties are signed and when it mandates a legislation, it seems to be taking a pretty long time. I am not in full knowhow of why the delay, but the hon. Minister can kindly explain that. There are a couple of issues relating to the Bill. The World Anti Doping Code, the WADA code as we call it, makes a very clear distinction between majors and minors. It sets lesser punishments for the minors. In the Bill piloted by the hon. Minister, if you see Clause 2, sub-Clause (d) of the Bill, 'athlete' is defined as any person. Now, to be more specific, the Bill can contain a separate sub-Clause under Clause 2, which defines 'minors' as persons below the age of 18. Further, Clause 6, which talks about the consequences of anti doping rule violations, insert a separate provision which states that minors will be subjected to lesser punishments like letting them off with a warning, decreasing the duration of suspension and, basically, not publishing the name of such minor who has committed this anti-doping violation as under your Clause 27 (1). The other WADA code guideline talks about the significance, independence and impartiality of the National Anti-Doping Agency, NADA. However, the way in which the current Bill is structured, the Central

Government as its own, say, in appointing and removing the Director General of NADA, thereby breaching the ideals contained in the WADA code. I suggest that the Bill should have a provision which states explicit qualifications for the Director General's appointment under Clause 15 sub- Clause (1). Director-General should be a person, who excels in this activity. It should not be meant for any retired officials or it should not be meant for any political adjustments. So if the Bill is very clear, it makes it easier for the Government to move in that direction. Now, coming to the removal of Director General, Clause 15 (8) defines the grounds for removal as proven misbehaviour, incapacity, and then, the third is, "such other ground". The meaning of "such other ground" is not very clear. I suggest that the phrase "such other ground" be defined more specifically, so as to ensure no unfettered discretion being used by the Central Government in the Director- General's removal. These are being very specific because you are reflecting the UNESCO Convention and India, today, is, emerging not only as a big financially strong nation, but in sports also, we are emerging as a very strong nation. So these very clear descriptions in our law makes it in tune with the various laws in other developed countries. And the same analogy applies even in the Disciplinary Panel and Appeals Panel also. They face the threat of Government interference. The grounds of removal are not specified in Clauses 1 and 12 respectively. I suggest that these be stated in the text of the Bill itself. Finally, on educating the people about the demerits of doping which spoils the athletes' career, Part IV of the UNESCO Convention Against Doping in Sport requires State parties to engage in imparting educational programmes on anti doping. It also requires States to provide accurate information on the harm of doping to the ethical values of sports, the health consequences of doping. The Government can take note of these obligations and create educational and sensitization programmes for the athletes. Such programmes will also help in preventing negligent or unknowing violations of the Anti-Doping Bill. With these words, I welcome the Bill and I would also like to place on record that I come from Nizamabad, where the world boxing champion Nikhat Zareen comes from. I am very proud that, today, I have been able to be a part of this Bill. Of course, Telangana, like rest of the country, today, is producing many wonderful sportspersons who have excelled internationally. So it is not just confined to Haryana. Of course, Haryana has always been a very good example for us, inspiration for us. But today, the entire country is working on those lines. Now, keeping this in mind, the State of Telangana, the Government of Telangana has also been developing and encouraging sports in a similar manner not just through educational but also in terms of very good budgetary support. So, I welcome the Bill and I congratulate the hon. Minister.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Thank you, Sir. At the outset, let me salute Lt. Gen. (Dr.) D.P. Vats. He has been dispassionately objective and he even went to the extent of proposing inter-caste, inter-religious marriages to have better breeds. I don't know whether Anurag*ji* would subscribe to his views. I would say that the General is different and I would appreciate it. Sir, I really wanted to dwell on the nuances of the Bill. However, many of the points which I want to speak have already been spoken here. Nevertheless, we have so much of concerns with regard to the structure and who all will be part of the Board, the independence of the such bodies, what could be the rules, what could be the criteria, all sorts of things are still vague. Sir, I don't want to tell about the suspension of the accredition of the NDTL which happened in 2019. Deepender*ji* was kind enough to point out here. It was a shame on us. What would the Government do to avoid such an incident which made us lose our feats. Sir, we have a prominent sports person, P.T. Usha*ji* here. Deepender*ji* and the General were largely talking about Haryana. They should have at least spoken about Kerala because we have a social eco-system whereby we promote sports. That is the peculiarity of Kerala. General Vats spoke about that. I told that he is a General with difference. He should be sitting here with us. Sir, just in July, two of our brilliant athletes were debarred. This Bill should be providing us a window to the situation that is existing now. Our Minister is a brilliant, young and dynamic one though he is very active in politics also. I would request that he should concentrate on sports a little more as much as he is enthusiastic about the political happenings around him. Sir, as we all know, in sports we have no religion - caste, creed, language, colour or sex. It is universal. In India, everyone loves sports. Everyone wants Indian sports person to excel. But, Sir, a country with one billion plus population, we have certain achievements. Is that what is required now? Don't we need to tread ahead towards progress? And, Anurag*ji*, just ponder over the Budgetary allocations you have. You should be using your political clout to increase the allocation, which you are not doing. Actually, the budgetary allocation has gone down. From Rs.25 crores, it has gone down to Rs.16 crores. This is the situation. And, Khelo India programme currently accounts to nearly 30 per cent of this sports Budget. Sir, we need to have an absolute increase and specific allocation to enhance the sports in this country. Hardly, 0.07 per cent is the allocation. There are small countries like Rumania, Latvia, etc., which allocate more funds. Please ask Usha*ji*, please ask her, how much the sportsperson requires. And, I would request that you should consult her. Don't make her sit here alone. You should consult her on sports. You should use her talent also. Sir, I have a suggestion. The Minister should take interest in such a way that a portion of CSR earnings is demarcated for sports. That

should be propagated and promoted. Sir, we have to catch our people at young age. That is how we have P.T. Usha.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you have to conclude. ...*(Interruptions)*..

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will just come to one or two small points more. Anuragji, we should be worried over the politics that is there in our sports federations. We have many federations. How many federations have been derecognized due to mismanagement, lack of transparency, and corruption? Even in our Indian Olympic Association, one your friend in BJP is fighting with another rival group. There is too much politics in sports bodies. Sir, 50 per cent of the sports bodies are headed by politicians. Do you want to have that much of politics in sports bodies? I have no objection Deependerji becoming a sports authority. He is passionate about sports. But think about those people who don't have any knowledge about the domain of sports presiding over sports with motive only for narrow, parochial interests. You have to have a control. I know your limitations because some of the bigwigs are presiding already over some of the sports federations. I don't want to name them, which you know that. You are smiling, your smile gives obviously us an answer to the question I raised. Sir, cricket is overbearing. I have no issue. You have talked about the money generated from the market, say, about Rs.50,000 crore. But think about other games and sports. Only one! You need to have an even structure in our sports culture. We don't want to neglect or denigrate any particular sports. So, I would request the hon. Minister to have a wholesome view. The last point is sports medicines. When we talk about this doping, please understand that we got a person like Messi, because his hormonal deficiencies were identified when he was an adolescent. We should develop sports medicines as a counter to the doping that is happening, counter to the drugs.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you.

DR. JOHN BRITTAS: We have Ayurveda in Kerala. He just comes to meet a few Press persons in Kerala. He should come and meet us also. We will suggest you the way where you can use Ayurveda to inculcate and to have sports medicines.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the last point I want to make is that...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Your last point was two points back. ..*(Interruptions)*..

DR. JOHN BRITTAS: This is the last point. We have spectators' interest. We should not limit sports to be something of the spectators. We should have participatory element in sports. I would request the hon. Minister to consider these points. There are so many nuances which I wanted to dwell on the Bill but many Members have already spoken about that. So, I would earnestly urge our young Minister to see that something is done spectacular. Thank you.

**श्री संजय सिंह** (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने इस एंटी डोपिंग बिल पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने में जिनको 'उड़न परी' कहा गया और जो इस समय इस सदन में हैं, पी.टी. उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं। उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ, तो जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो हिन्दुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी, जिनकी गुगली से अच्छे-अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्य सभा के सदस्य हैं। मान्यवर, यह बिल हम सबके लिए ...(**व्यवधान**)... 'दूसरा गेंद' हरभजन सिंह जी की फेमस गेंद हुआ करती थी, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, अनिल कुम्बले जी की भी गुगली याद है।

**विपक्ष के नेता** (**श्री मल्लिकार्जुन खरगे**) : वे देश की सम्पत्ति हैं, आप क्यों ले रहे हैं?

**श्री संजय सिंह** : नहीं, वे सबकी सम्पत्ति हैं। हमने यह कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्य सभा के सदन में उनको लाने का काम किया है।

मान्यवर, जब मैं यह बिल पढ़ रहा था, तो मुझे इसमें एक अच्छी बात लगी कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय माँगी गई, उसके बाद लोक सभा के पटल पर लाया गया और अब यह राज्य सभा में चर्चा के लिए आया है। बहुत अच्छी बात है कि इस बिल के ऊपर सघन रूप से कई स्तरों पर चर्चा करने के बाद यह बिल लाया गया है। जब डोपिंग टैस्ट में पॉज़िटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है, तो वह बड़े-बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है और उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित रखा जाता है। लेकिन उसकी टैस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसके बारे में कोई नहीं सोचता और न ही कोई उससे पूछता है। उसको हमेशा के लिए खेल बिरादरी की तरफ से और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें जो मामला मुझे सबसे ज्यादा याद है, वह हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला है। हिन्दुस्तान से वे डोपिंग

टैस्ट पास करके गए थे, लेकिन ओलिम्पिक खेल में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से हमें ऐसी घटनाओं से बचने में मदद मिलेगी, जहां पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नाडा से पास हो कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उनको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। यह बिल देश के हित में है और अच्छा है। इस बिल से खिलाड़ियों को सुरक्षा मिलेगी।

महोदय, यहां पर दीपेन्द्र हुड्डा जी ने और सदन के दूसरे माननीय सांसदों ने एक चिंता व्यक्त की है कि कई बार डोपिंग के चक्कर में खिलाड़ी फंस जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? खिलाड़ी अतिरिक्त ताकत प्राप्त करने के चक्कर में डोपिंग में फंस जाते हैं, लेकिन यह अतिरिक्त ताकत लेने की सोच उनके मन में आती कहां से है - जब वे मैडल की रेस में पीछे होते जाते हैं और सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हमें मैडल हासिल करना है लेकिन कई बार उनके साथ साज़िश भी होती है। उनका जो टैस्ट होता है, उस समय जान-बूझ कर उनको ऐसे इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं, जिनसे वे डोपिंग टैस्ट में फेल हो जाएं। इसीलिए इस बिल का होना बहुत आवश्यक है, ताकि ऐसी तमाम साज़िशों से, ऐसी तमाम कार्रवाईयों से बचा जा सके और ऐसे टैस्ट करके हमारे खिलाड़ियों को जो पीछे रखा जाता है, उससे उनको बचाया जा सके।

महोदय, लेकिन क्या वास्तव में खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है? यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाले हिन्दुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे, जब आप खेल का बजट मात्र 3,000 करोड़ रुपये रखते हैं? 3,000 करोड़ रुपये का बजट आप 130 करोड़ की आबादी वाले देश में रख रहे हैं! 2021 में आपने खेल का बजट कम किया था, तो इस बार बजट को थोड़ा-बहुत बढ़ा दिया गया। खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट इतना कम क्यों रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है?

मान्यवर, आज जब आप राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो पूरा देश हम लोगों को सुन रहा होगा। खास तौर से हमारे वे नौजवान आज हमें सुन रहे होंगे, जो हरियाणा के गांवों में, उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में और पूरे देश में सुबह चार बजे उठ कर शाम तक मेहनत करते थे कि उनको देश की सेना में भारत के लिए मरने-मिटने का मौका मिलेगा। *

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि कभी आइए और देखिए कि खेल को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। खेल मंत्री जी, आप खुले मन से आइए, हम लोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलते हैं, जहां श्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने मिल कर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल्स का निर्माण किया है, सरकारी स्कूलों के अंदर वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड्ज़ बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड्ज़ बनाए हैं। बड़े-बड़े स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए दिल्ली की सरकार 'मिशन एक्सिलेंस योजना' लेकर आई है। केजरीवाल जी की सरकार कहती है कि खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत तब होती है, जब उनकी खेल की प्रतिभा को निखारना होता है, लेकिन आप मदद कब करते हैं? आप तब मदद करते हैं, जब कोई ओलिम्पिक में गोल्ड मेडल पा गया, सिल्वर मेडल पा गया या एशियाड गेम्स में कोई मेडल पा

* Expunged as ordered by the Chair.

गया। उसके बाद कई राज्य सरकारें, कोई 20 लाख रुपये, कोई 50 लाख रुपये, कोई 1 करोड़ रुपए का सहयोग उस खिलाड़ी को देने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय उनको सहयोग देने वालों की होड़ लग जाती है, लेकिन जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता है, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा होता है, जिसके खेल में प्रतिभा है, जो ओलिम्पिक में गोल्ड मेडल पा सकता है, सिल्वर मेडल पा सकता है, ब्रॉंज़ मेडल पा सकता है, जो एशियाड गेम्स में मैडल पा सकता है, उसकी मदद करने के लिए आपके पास क्या योजना है? यह योजना दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकर आई और 'मिशन एक्सिलेंस' में हम दिल्ली के प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जिनके अंदर बड़ी-बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पाने की संभावना है, उनको 16 लाख रुपये तक की सालाना मदद करते हैं।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) *in the Chair*.]

इसके अलावा दिल्ली सरकार की दूसरी 'प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम' है। इसमें ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं, जो आगे चलकर अपने बचपन से ही अलग-अलग खेलों, जिनमें उनकी विधा है, जिस खेल में वे अच्छी प्रतिभा रखते हैं, उसमें उनको मदद करके आगे बढ़ाना, उन्हें मेडल के लिए तैयार करना और उनको बड़ी-बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना होता है।

महोदय, दिल्ली की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, खेल का विश्वविद्यालय बनाया और यह अपने आप में ऐसा अनोखा खेल का विश्वविद्यालय है, जहां खेल को ही उसकी पढ़ाई माना गया है, खेल को ही उसकी डिग्री माना गया है, खेल को ही उसका जीवन माना गया है। अलग-अलग खेलों में, जिसमें भी वह जाना चाहता है, उसके खेल के हिसाब से उसे स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मदद दी जाएगी, उसे हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खेलने की सुविधा दी जाएगी। उसके खेल की प्रतिभा को ही उसकी डिग्री माना जाएगा, ऐसा खेल का विश्वविद्यालय दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बनाया है। हमने दिल्ली में खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं।

मैं आपके माध्यम से फिर से इस बिल का समर्थन करते हुए खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो खेल का बजट है, यह ऊंट के मुंह में जीरा है, आप इस बजट को बढ़ाइये। आज बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको बड़े-बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनको बड़े-बड़े मेडल मिले हैं, उनके बारे में ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं कि वे अपना मेडल बेचकर कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। जब इस तरह की खबरें आती हैं, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां की आबादी 24 करोड़ है और उस 24 करोड़ की आबादी में जब हम पढ़ते हैं, ओलिम्पिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता, तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए, धन्यवाद।

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (Bihar): Sir, I am on a point of order under Rule 238.

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Yes, Sir. Sir, it says, 'A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending.' He was referring to Agnipath Scheme and this matter is pending before the Supreme Court. मैं आग्रह करूंगा कि इसको ...(**व्यवधान**)...

**श्री संजय सिंह** : सर, यह पार्लियामेंट है।...(**व्यवधान**)...

**श्री सुशील कुमार मोदी** : वह सबजुडिस है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No, no. ...*(Interruptions)*... Sushilji, no. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

**श्री सुशील कुमार मोदी** : यह मामला कोर्ट में है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): He has raised a point of order. ...*(Interruptions)*... You please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Sir, it is very clear that member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Sushilji, you need not repeat it. ...*(Interruptions)*... It will be examined by the Chair. Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Excuse me, please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I did not want to intervene. I will reply in detail later. But, I just want to apprise the House, because the hon. Member has just now mentioned about Uttar Pradesh. I just wanted to say इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है, जिसने केवल अपने राज्य के ही एथलीट्स को टोक्यो ओलिम्पिक्स के बाद सम्मानित नहीं किया, बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीतकर आए थे, उन सबको सम्मानित करने का काम किया, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया। हाउस में रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे, मैं सारी बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई शंका या संकोच नहीं है।

SHRIMATI P.T. USHA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, my most respectable *gurus*, mentors and fellow Members of this august House, as today is my maiden

speech, I hope you will consider me as your humble sister and I also hope you will forgive me for any mistakes in my speech.

Sir, with all your blessings, let me begin my speech by paying homage to all our freedom fighters, our soldiers, policemen and all the great noble-hearted individuals who laid down their lives for our nation. It is because of their sacrifice, and everyone else who is in the service of our nation, that we are now living a loving and peaceful life. It is because of their service, which has made the very foundation of this great nation, that we are able to enjoy the freedom which is given to us, and hence we also have a commitment towards our nation.

As a Nominated Rajya Sabha Member at the age of 58, I am grateful for the good fortune of taking my fest step in the temple of democracy. I took oath on 20th July in the name of God to uphold the constitutional values, and all these days, like a grade-I student, I have been watching the proceedings of this sacred House.

I also had the great opportunity of representing my country in more than a few hundred events as part of my sports '*tapasya*'. I would like to look at the democratic processes of post-independent India through the open eyes of an athlete. Since independence, we have been providing various facilities for improving our sports. Our proud sports personalities have achieved rare achievements in hockey, wrestling and football at the Olympics venues. Our sportsmen have several achievements that inspire the younger generations in athletics, tennis and other sports -- Hockey legend Dhyan Chand*ji* and his team, Mewal Lal*ji* in football, K.D. Yadav*ji* in wrestling, Ramanathakrishnan and Amritaraj Brothers in tennis, the mighty Milkha Singh*ji* in athletics, and through India's first female Olympian Mary D'Souza*ji*. All of them are our true legends. We have achieved great feats in the 1980's but later on, unfortunately, we lost the upper hand in hockey, football and wrestling. With 1983 World Cup triumph, the prestige of our nation in the field of cricket rose once again such that we were the World Champions in another major sporting even after hockey.

In the 1960 Rome Olympics, we lost the medal of Milkha Singh*ji* by fraction of a second and it was repeated once again in 1984 with a difference of one-hundredth of a second. Thereafter, myself being a girl from the remote place of Payyoli in Kerala, a village without any facilities to pursue my sporting dreams, met and spoke, for the first time, to the then Prime Minister, Late Smt. Indira Priyadarshini*ji*, which was one of the most precious moments of my life. Then, by running up to year 2000 and training my younger generation till yesterday, this devotee has dedicated herself to the betterment of Indian sports and, once again, had the rare privilege of meeting hon. Shri Narendra Modi*ji*, the most admired Prime Minister amongst the world of nations.

All the while, we can count the achievements of our nation in the field of sports since 1984; we embraced the sports as a self-criticism, as there was no overall growth. I wish to mention that our achievements in athletics, tennis, weightlifting, cricket, chess, billiards and snooker, badminton and boxing events are huge. From the time when our beloved Vajpayee *ji* became the Prime Minister and till 2014, only a few silver stars were seen performing at bigger stages. In terms of infrastructural developments, in addition to things such as training grounds, conditioning facilities, and improved diets, better treatment facilities were not adequately available then, until 2014. In the 1980s, I used to travel from Payyoli by train for up to four days to reach Delhi to work out on athletic tracks. But now I am happy to state that after 2014, our country has been making enviable progress in various fields, including unparalleled achievements in the field of sports, and that is why, today's generation is experiencing, district to district, better training facilities in varieties of sports. Facilities such as synthetic tracks, swimming pools and gymnasiums and other amenities are being made readily available. The new generation sportsmen are now getting better coaches, scientific diets and resting facilities. But there is one Department which needs more emphasis and that will be field of Sports Medicine and Sports Science. The front-running top 10 nations in the field of sports and Olympics have the backing of modern sports science technology and support of sports medicine system.

Injuries are an inseparable part of the sport, and the Department of Sports Science and Sports Medicine has an important role to play in helping sports personalities recover from injuries as fast as possible and bringing them back to training in a short period of time. Unfortunately, in our country, this branch is still in its infancy. We need to have immediate and special attention to this sector.

This is the time to become self-reliant, and, in those terms, I strongly suggest that Sports Science, Sports Medicine and Coaching should come under the scheme of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modiji's dream project, "Atmanirbhar Bharat.'

Now all this has been mentioned only as an introduction but, on the contrary, over the past 20 years, there has been a general tendency towards "Doping" or what we can call as an abuse of performance-enhancing drugs and steroids. According to today's statistics, India ranks third in the number of individuals who have been tested positive for steroids and punished for doping. In this context, the nation which is ranked 'One' in the number of individuals tested positive for steroids has already been excluded from World Sports by other countries. I wish to mention that this is a serious concern which needs to be addressed immediately.

We are yet to open our eyes to the abuse of 'Doping' in our country which was once earlier confined only to the senior national levels but it has now reached the juniors, college and school levels, which is a serious concern that needs to be addressed. When talented sport individuals are abusing performance-enhancing drugs, they are not only sacrificing their career and life for short-term benefits but they are also spoiling the talents of upcoming sports individuals who work very hard to improve their performance levels. In addition to this, they are also tarnishing the image of our country among other nations, and, through this, we are also destroying the dignity and legacy of our ancestors who worked very hard for it.

To control this alarming situation, with the special interest of our Sports Minister, the Lok Sabha has passed the Anti-Doping Bill last day. While this phenomenon can be controlled to some extent through legislation, yet still more effective measures are imperative and need to be taken.

We should create awareness about the abuse of performance-enhancing drugs in Sports among athletes, coaches and parents, and there should be no delay in taking timely action and appropriate ban against those who test positive for doping. At the same time, the activities of National Anti-Doping Agency, NADA, should be accelerated and should be given the freedom to operate without any other obstacles. The National Anti-Doping Agency and the National Dope-Testing Laboratory in New Delhi should get the necessary financial freedom and all competitions must be brought under the watchful eye of NADA. Not only for the competition but during the preparatory time also, they should be tested.

For instance, in a competition with participation of 800 athletes, the NADA authorities used to come up with just 10 anti-doping kits, and it can be undoubtedly said that such measures are happening because of the financial constraints and lack of adequate manpower. It can improve only through the timely intervention of our Legislatures, the State, the people and the people's representatives, who should be more assertive regarding matters related to sports and should, by every means, ensure that better opportunities are created for our sports individuals to showcase their true talent and potential among the world nations.

If the motto 'prevention is better than cure' is implemented scientifically and adequately in the field of sports and we, as a nation, which has always dreamed big and hoped good for our people, work in this direction, I can definitely say that in the next ten years, we will become one of the top ten sporting superpowers among the countries of the world.

I also wish to mention that we have reclaimed the Olympic medal in 2020 which we had previously missed in 1960 and 1984. Now, let us give support to our upcoming

sporting talents by all means and respect so that they can compete vigorously in the upcoming Olympics and world competitions and win with flying colours so that millions of Indians living in other countries and our Bharat Khand can stand with their heads held high.

Today's faith is the strength of tomorrow - on this note, let us all work for the betterment of a new and strong India. Let me conclude my speech by extending my heartfelt gratitude to our beloved hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi*ji*, who is very keen on the development of sports in the country. As a daughter of Bharat Mata, I bow my head before her and wish that I could serve this nation for the betterment of sports.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I thank everyone once again from the bottom of my heart. Namaskar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Now, Dr. Fauzia Khan - four minutes.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, why only four minutes to me?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Because more Members are there.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I would like to begin by welcoming this Bill and saying that my family is a great fan of Sachin Tendulkar and Sunil Gavaskar, like millions of other families in our country and even outside our country, particularly the youth, not because they have been successful sportspersons, but simultaneously also because they are the icons and inspiration in what the field of sports has groomed them into human beings - righteous, disciplined, determined, humble, punctual, hardworking, unbiased and men of integrity. People generally thrive to become like their ideals and adopt their ways of life. The current expansion of the field of sports itself may be attributed to this idealism. There are thousands of such icons who are the role models for the youth. Sport is a field that inspires love, affinity and brotherhood, and the general behavior of great sportspersons impacts the way our youth thinks or perceives life. While discussing this Bill, this must be kept in mind that while addressing the issue of doping in sports, we are also trying to address the value system in our youth. Righteousness has always been a part of Indian tradition. I think most misguided sportspersons are not introduced to doping when they reach the international level, but they are introduced to doping much earlier, when they participate in the State or national-level competitions. That is where our focus must lie. This is necessary. Therefore, I thank the hon. Minister for having brought in this

comprehensive Bill which covers not only sports but also gives a message that values matter, not only for the youth of India but also to the global community.

The growth of sports is a definite indicator of the growth of the nation. I must congratulate our young Minister, Shri Anurag Singh Thakur, for his vision, dedication and contribution and for the fact that we are winning medals after medals in various competitions during his tenure. The Bill, I think, is well framed but it is evident that the scope has been voluntarily left for the rules and regulations. I have some suggestions for the consideration of the hon. Minister. Sir, enhancement drugs like amphetamine and steroids have been there even from the 1940s. With the evolution of the pharmaceutical industry, rules and regulations also have been simultaneously evolving. Accordingly, changes are also coming in the World Anti-Doping Code. At the same time, masking drugs are also being developed in their natural course of evolution. Therefore, awareness programmes are very important. They are already being carried out but many more are needed.

Sir, I will just mention the pointers because I have less time. I feel that we need to carry these awareness programmes at all levels, and, not just at the national or international levels. We should carry these programmes down the line to the State level and District level because that is where the programme begins. We have a very well-established network in the nation and this network is our associations, federations and the clubs. I think, they should be included in this because this network percolates down to the taluka level. So, before every competition, a session and a certification on anti-doping must be made mandatory as a precursor for the permission of the competition to the association. If that is done, the association becomes accountable to ensure that awareness for anti-doping is carried out by them. Also, Sir, screening is necessary not only at the international level but also down the line at the District level. *(Time-bell rings)* Just give me one minute.

You have mentioned about a big laboratory, which is worth crores of rupees; what we need is small, small micro labs, mobile labs. Just like simple glucometers that we have to check our sugar, if we can screen out doping at the initial levels, and, if it is made mandatory for the associations, this would produce very good results. Guidelines must be circulated and accountability of coaches and associations has to be ensured.

Lastly, Sir, off the shelf drugs which are available, especially, the powders, the proteins, the whey-proteins for the gyms, the performance enhancers, the dietary supplements, all these things should be looked into. I have much more to say. In the end, I will only say, Sir, just as in the case of a computer, you may detect a virus.

Detection of the virus is not our aim. That virus has to be cured, and, that cure has to be our aim. Thank you very much.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, the Bill proposes the amendments in accordance with the World Anti-Doping Agency Code. I have two, three short points. Firstly, the personal data protection of athletes who are suspected of illegal possession and use of trafficking of drugs is missing factor which has to be looked into by the hon. Minister. If the athletes are suspected and later proved innocent, their privacy remains violated and they suffer social stigma. Therefore, I request the hon. Minister to kindly look into this important aspect.

Secondly, there are many instances when athletes have been tested positive for banned drug use for no fault of their own. Sometimes, they are found to have taken those drugs as part of their regular medicine prescribed by their own doctors, and, sometimes, as part of their nutrition supplements. Sir, I feel that there is a need to create proper awareness amongst sportspersons, coaches, doctors who specialize in sports medicines and other stakeholders to doubly check what nutrition supplements the athletes take. Another important point is that the word 'doping' states that the protected class of athletes, which includes athletes below 16 years of age among others, may be given reduced penalties, punishments or ban periods. This Bill does not make any distinction between minor and major athletes. I hope that the Minister takes care of it while framing the rules and under the Act this will be definitely taken care of. Regarding the laboratories, Sir, there is a need for setting up laboratories in each State. It is a welcome suggestion and will go a long way in speedy disposal of cases. I urge the Minister to take the suggestion because a large number of younger people today in the country are taking up sports as a career and as a way of life rather than a hobby or a part-time avocation.

To conclude, we are already seeing the results of various initiatives taken by the Minister under the guidance of our hon. Prime Minister in the form of *Khelo* India and other Schemes for the promotion of sports, fitness and health awareness in the country. The results of medal wins from World Athletics Championship and Commonwealth Games are very encouraging, and we are on course to become sports superpower. With these words, I support the Bill. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. G.K. Vasan. Mr. Abdul Wahab wants to leave early. If the House permits, we could allow him to speak.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, first of all, I support the Bill. But I got a revelation today that sports and games started in India after 2014. It is not coming; it is an evolution. One cannot go in the Olympics or in the Commonwealth Games overnight. It is an evolution which has been done by so many Governments. So, it is not since 2014 only. It was a concerted effort by so many Governments -- the Vajpayee Government, the Manmohan Singh Government and all that. The fruit is coming now under Anurag Thakur ji. We are very happy that every day we can see so many medals. But I want to say one thing to our Sports Minister. When he visits our States, he should see other people also, not some editors or some set of people only. You should make use of the time and see neighbouring MPs and neighbouring sports people also. I wish next time Anurag Thakur ji will give not only to us but also to other editors an opportunity to meet.

Sir, as per the records, with 152 anti-doping rule violations, India ranks third amongst world's biggest doping violators. Major doping violation happened in the field of weightlifting with 25 cases, in athletics with 20 cases, in wrestling with 10 cases followed by boxing and judo. Every time an athlete comes up with an exceptional performance out of the blue, and ahead of a team in the selection meet, the chance of that athlete testing positive is high. It is believed that a major reason for athletes dope is their wanting to register high performance on the basis of which they can get jobs and incentives. However, there are many natural biological cases of high testosterone level and others where sports people are innocent. The increasing number of privately-sponsored marathon and cross country runs in India is also a source of doping temptation for athletes. In many cases, the coaches are also responsible for their casual approach. My suggestion is that there should be frequent testing of sportspersons. We should also create more awareness among sportspersons. And there should be an integrity campaign amongst sports persons to feel responsible. I also agree with Mr. Vasan's proposal that we should have laboratories in every State. Thank you, Sir.

4.00 **P.M.**

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill. Sir, I wanted to deal with some of its provisions. My first submission is with respect to definitions. Almost 35 definitions are there. But sub-Clauses (*za*), (*zb*) and (*zc*) of Clause 2

talks about "Prohibited List", "prohibited method" and "prohibited substance" respectively. The definitions are there. But the List has not been appended to this Bill. Once it is defined, it should be annexed to the Bill. That was not done.

Clause 5(*1*) says, "Where any substance or method is included in the Prohibited List and such prohibited substance or prohibited method is required.." Without any list appended to this Bill, it is not possible to invoke the provisions of Clause 5. It is better to attach the list. Though the Government has the power to frame the rules, it is better not to deviate from the original Bill. It is better to annex it.

Clause 7 talks about constitution of National Board. Clause 12 talks about Appeal Panel. The qualifications have been specified with regard to the persons who will be appointed as the Chairperson and the Members on the Appeal Panel.

Clause 15 talks about Director General. It says that the Director General shall be appointed by the Central Government from amongst person of integrity. Required qualification or eligibility has not been specified here. Apart from that, sub-Clause (*8*) of Clause 15 talks about the powers of the Central Government to remove the Director General even before the expiry of his term. That power takes away the independence of the body. It can be taken into consideration.

Coming to Doping Control Process, Clause 19 deals with power of entry, search and seizure. This is in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure. The body constituted under this Bill will be having quasi-judicial functions. If that is there, legal knowledge should be exercised specifically when investigation process is going on. Power of entry, search and seizure should be exercised carefully. But that is not specified in Clause 19.

Clause 26 talks about constitution of National Dope Testing Laboratory. We had established NDTL for this. The World Anti-Doping Agency (WADA) banned NDTL as it was not complying with the international standards prescribed by WADA. Let me give an example of the proficiency of the NDTL. The NDTL gave negative report in six cases. Then WADA sent the samples again to an accredited lab in Canada which found all of them to be positive. All six Indians involved were suspended. It not only brought the NDTL into disrepute but also Indian sports. Constitution of testing laboratories is also very important. As far as laboratories are concerned, *(Time-bell rings.)*

In 2019, the maximum positive samples, 225 out of 4,000 samples, were reported in our country. In view of this, some precautions need to be taken. I request the Government to take the suggestions made by me into consideration. Thank you, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill. The AIADMK Party is supporting the Bill piloted by the young Sports Minister. As others said, he is not only active in politics but he is also active in sports. Previously also he headed many programmes. We know that very well. Therefore, I congratulate him. Our Hon. Prime Minister appointed him as the Sports Minister. At the time, after he assumed this office, the Commonwealth Games are going on in the UK. India is showing a good performance and athletes are getting good medals. Therefore, it is a credit to him as he is heading this Ministry.

Sir, regarding this Anti-Doping Bill, you know very well why this Bill has been brought forward in Parliament. I was and am a Member of the Education Committee where we discussed it thoroughly. I need not elaborate on it because our opinion is also given to the Government as to what are all the things which need to be taken up. The main reason why we are bringing forward this Bill is that the Anti-Doping Convention is now the second most ratified of all UNESCO treaties with 191 State parties. Therefore, when all the countries have taken part in this programme, they decided to encourage international cooperation to protect athletes and ethics of the sports, which is more important. That is why, the Government has brought forward this Bill. The objective is to establish a National Board for anti-doping in sports and to provide for its composition, powers and functions. Sir, many Members have raised the objection regarding establishment of this Board and who should head this Board. When the autonomy is given, we have seen that there are malpractices in many sports boards. That is why, many Members objected to that saying that there are many cases against boards. When the Government is taking over, it is the responsibility of the Government. Government means Parliament. We are enacting the law. We are members to that. If anything happens, we have the right to raise the issue in Parliament and the Minister is responsible to answer that. Therefore, a power is given to the Government to appoint the Director. Whenever any problem arises, we can raise it. There should be no objection to that. I have no objection to that. This is what was discussed in the Standing Committee also. We made it clear that this is the correct decision. We have to give the power to the Government to appoint the Director of the Board. Also, if any complaint comes, they will have to remove him also. That is what we said. Medicines and drugs are not purposely taken by sportspersons. Sometimes, some people are misusing it. That is a fact. At the same time, without knowledge, sometimes, they take some kind of food. For that, they cannot be punished. They should be given proper information and guidelines. This is what all have said. The Committee has recommended that and emphasised on the

need for opening more dope testing laboratories in the country, preferably one in each State to cater to the needs of the country and also to become a leader in the South East Asian region in the area of anti-doping testing. That is why, Sir, I support this Bill. I don't want to take more time. You know very well about time. Now, I conclude my speech. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Now, Dr. Anil Agrawal; you have five minutes.

DR. ANIL AGRAWAL (Uttar Pradesh): Sir, thank you for giving me the time of five minutes. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 लोक सभा में 17 दिसम्बर, 2021 को इन्ट्रोड्यूस किया गया था और इस विषय की महत्ता को समझते हुए माननीय स्पीकर लोक सभा और माननीय चेयरमैन राज्य सभा द्वारा विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के लिए रेफर किया गया। उसमें बहुत विस्तृत चर्चा हुई। जितने स्टेकहोल्डर्स हैं, उनको बुलाया गया, विभिन्न फेडरेशन्स को बुलाया गया और न्यूज़पेपर में भी इसके लिए एडवर्टाइज़मेंट दिया गया। उन सबके वृहद डिस्कशन के बाद, स्टैंडिंग कमेंटी ने जो अपनी रिकमंडेशन्स दी थीं, उनमें अधिकांश को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और उसी के आधार पर अब यह बिल राज्य सभा में आप सभी के विचार रखने के लिए और इसको पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मुझे खुशी है कि इस सदन के सभी सदस्यों ने, वे चाहे किसी भी दल के हों, इसका समर्थन किया है और अधिकांश सदस्यों ने राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत किया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक और चीज़ लाना चाहता हूं कि इस देश में 2014 के बाद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं और उन्हीं कदमों का यह असर है कि आज देश में मेडल्स की तालिका बढ़ रही है, फिर वे चाहे कॉमनवैल्थ गेम्स हों, चाहे दूसरी विश्वस्तरीय प्रतियोगिताएं हों, चाहे ओलंपिक्स की प्रतियोगिताएं हों, इन सभी में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में ऐसी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ थीं या बहुत सारे ऐसे नियम थे, जिनकी वजह से स्पोर्ट्स फेडरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती थीं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन सबको देखते हुए नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गया है और उसकी वजह से स्पोर्ट्स में जो बहुत सारी दिक्कतें आती थीं, वे दूर हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी राज्य सरकारों ने नेशनल स्पोर्ट्स कोड में जो प्रावधान हैं, उनको अंगीकार नहीं किया है। अगर यह स्टेट लेवल पर भी होगा, तो इसके बेहतर परिणाम आएंगे।

महोदय, मैं आपके सामने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, पूर्व में क्या होता था? पूर्व में यह होता था कि कुछ परिवार या कुछ ग्रुप्स, जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन्स थीं, उन पर अपना कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन आज नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए एक टाइमफ्रेम बना दिया गया है कि प्रेज़िडेंट मैक्सिमम तीन टर्म्स तक रह सकता है, सेक्रेटरी दो टर्म्स तक रह सकता है और उसके बाद कूलिंग पीरियड की अनिवार्यता है। इन सभी चीज़ों से स्पोर्ट्स में बहुत पारदर्शिता आई है। महोदय, पहले यह जो आरोप लगता था कि

इन सभी चीज़ों से स्पोर्ट्स में बहुत पारदर्शिता आई है। महोदय, पहले यह जो आरोप लगता था कि बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जो फेवरेटिज्म चलता था, उसकी वजह से उचित जगह नहीं मिल पाती थी, वह भी दूर हुआ है।

महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू किए गए कुछ खेल प्रोग्राम्स की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 'खेलो इंडिया' एक ऐसा प्रोग्राम है, जिसकी दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने भी, जो हमारे पहले स्पीकर थे, तारीफ की है। कुछ लोगों ने पार्शियली तारीफ की है, लेकिन यह वास्तव में एक ऐसा प्रोग्राम है, जो आने वाले समय में इस देश के लिए वरदान साबित होगा और मुझे निश्चित रूप से इस बात का पूरा यकीन है कि 2028 के ओलंपिक्स में भारत की जो पदक तालिका है, वह डबल होगी।

महोदय, जहाँ तक वर्तमान बिल का प्रकरण है, इसमें जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और हमारे भारत की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इन दोनों के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित होगा। महोदय, कुछ साथियों द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है कि नेशनल लेवल पर कुछ प्लेयर्स, जिनके टैस्ट नेगेटिव थे, जब वे वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता में गए, तो उनके टैस्ट पॉज़िटिव हो गए और उन्हें एक बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, निश्चित रूप से उसका भी समाधान होगा।

महोदय, मेरे कुछ साथियों ने हरियाणा के बारे में बहुत बढ़-चढ़कर बताया है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हरियाणा और केरल इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग दो वर्षो में काफी काम हुआ है और मेरठ में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर शुरू की गई है। हमारे वे सभी खिलाड़ी, जो पिछली बार जीतकर आए थे, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 4-4 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मैं आपको एक और चीज़ यह बताना चाहूंगा कि अभी हमारे आम आदमी पार्टी के एक ..(**व्यवधान**).. *(Time-bell rings.)* Sir, I will take only one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please.

**डा. अनिल अग्रवाल :** उन्होंने बहुत फ़ख के साथ यह कहा कि हरभजन सिंह जी हमारे राज्य सभा के सदस्य हैं, जो गुगली फेंकते थे। ..(**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you Dr. Anil Agrawal.

**डा. अनिल अग्रवाल** : मैं इस सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि पहले ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा सदस्य हैं और राजस्थान से आते हैं, फोर्स से आते हैं। महोदय, समय की बाध्यता है, इसलिए मैं केवल कुछ बातें और कहूंगा।

महोदय, कुछ लोगों ने बजट पर भी कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स का बजट निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने

स्पोर्ट्स के लिए आज तक जो बजट दिया था, उसको काफी अधिक बढाया गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you Dr. Anil Agrawal. Now, Shrimati Mausam Noor; not present. Now, Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, as I stand here to speak on this subject, I am very proud to be speaking about a sector which is very close to my leader, hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik. The entire House and I am sure, the hon. Minister would join me in recognising the kind of impetus he has given to hockey in this country. After 41 years, India got a medal in the Olympics because of the impetus that was given to hockey by adopting that particular sport by the State Government for ten years. Now, the same kind of fillip is being given to other sports like football, like women sports, several other sports. So, it is very close to the heart of our State, and when people applaud the medal tally of, let us say, Haryana and Kerala people forget that this is the new kind of incentive and incentivisation that is required to the sports in India. We have 17 astro-turfs being developed in the 17 blocks of Sundergarh District because that is considered as the cradle of hockey in the entire country. This is the kind of incentive we have to do for both on the infrastructure side and for sportsmen. Now, before I come to this topic, I must compliment the Minister that what he has brought to the House currently is something which is not only timely but it would actually pitch India at a level higher than the countries like Russia and countries like Italy who are now topping in the world in terms of doping activities. We are inching closer to them. So, this is a structure which has come in to make us more credible in the international sports arena and, therefore, I support the Bill, and I compliment the Minister for bringing this Bill.

Sir, before I get into some of the details which will come by way of suggestions, I would, first, make a broad comment about the design of this Bill. I would, strongly, urge the hon. Minister to consider this. One of the most important aspects of this Bill is the anti-doping testing laboratories. They are listed under Chapter VII, Miscellaneous, Clause 26 (1), (2) and Clause 27. Don't you think that this is the crux of the entire thing because our national laboratory was de-recognized and therefore, this should actually find place of prominence, as a prominent chapter otherwise, in the entire design of the Bill? You could consider asking your Ministry to look at this; otherwise, it doesn't give the pre-eminence that is required to be given to such laboratories.

I will come to another point relating to the design of the Bill once again and that is, the provision relating to the Appeal Panel, which says that the Panel would consist of Chairperson, a retired High Court Judge, and a Vice-Chairperson, a legal expert, and four members, medical practioners. Now, there is a reference to the medical practioners in the entire Bill. The point is, who is a medical practitioner? It is a very broad field. I think sports doctors or sports medicine, those who practise that, that should be categorically mentioned here, and those are the people who should be coming in here. Secondly, I have statistics and it is very glaring that the International Journal of Pharmaceuticals published in 2017 a report which says that out of 162 Ayurvedic formulations which were tested, 16 had the presence of substance prohibited by WADA. Sixteen had the presence of substance prohibited by WADA. Now, many of us, including our sportsmen, take and I take Ayurvedic medicines, and I take Homoeopathic medicines.

And we have cases here. I have a case here where the athlete said that she had taken that particular medicine thinking that it will increase her long-term immunity. Now this is not covered in the entire provision of the Act. We cannot really cut and paste what the WADA has said. Our realities, Indian realities are different and that has to be factored into this particular provision and, therefore, my suggestion to the hon. Minister is that we have the National Medical Commission which has been set up now with three different verticals, one for allopathic, one for traditional medicines. If you have a representative from there in this Appeal's Panel then even if it is a question of having somebody taking the traditional medicines, he can evaluate it properly instead of blindly banning that particular athlete. An athlete's life is very small. Now, I will come to some very concrete suggestions. This is relating to awareness. Many of us have spoken about it. Many speakers before me have spoken about it. I would like to refer to one famous Cuban athlete, who is the only athlete to have won the 400 meter and 800 meter Olympic titles in 1976. He says that you can tail your athletes, your sportsmen, co-sportsmen, several things, but it is very important to have a policy for educating against doping. Awareness has not got the prominence that is required to be given in the particular design of the Act. If it can be brought to the rules, I would strongly recommend that this could be done. Awareness is very important because many of our sportsmen belong to communities or belong to families, which are not that literate. So to expect them to know about the formulation of something that is being administered to them is actually very, very tall thinking, I would say. The next point which I would like to mention is providing some kind of a legal aid to our athletes. Our athletes, if they are tested positive by various layers, then how do they meet the challenge? So some kind of a legal aid assistance scheme

should also be worked out for our athletes. We must realize that ultimately, the Bill or anything that we do for sports, the primacy should be given to sportsmen and not to policy-makers. Therefore, everything should be done keeping the interests of sportsmen in mind. The next point that I would like to make is relating to data protection. I think, hon. Vasan*ji* talked about it. But he said that there is no mention of it. Actually, there is a mention of it, and very strangely, the mention says that it would be made public, it is being legalised, legislated. I think that is a very retrogressive step because until and unless the athlete has exhausted all chances, her or his name should not be disclosed to public. That is the change that I think has to be brought in. The last point that I would like to make with the minute that I have, is relating to facilitating the therapeutic use of exemptions. I think the athletes have to go through a series of processes which are very difficult. They would rather train rather than go for this process. I think that could be simplified and this simplification is possible if you can have some kind of a certification that this particular formulation is dope free. You can ask pharmaceutical companies who are giving these tablets or giving these medicines, to have this certification mentioned. *(Time-bell rings.)* And I think, with the kind of impetus that we are giving everywhere to sports in the country, there would be pharmaceutical companies, who would go in for this, we could actually attempt to try that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Dr. Amar Patnaik.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, last minute. The point is relating to the selection process. The selection process of the Director-General; many Members have talked about many things. But I think the most important thing is, at least, a minimum qualification could be mentioned. Because the Government has the right to appoint and the process of removal is there in all the Government organisations, but minimum qualification could be mentioned so that sportspersons are not relegated to the background, as has been the allegation against the Indian sports all this while. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Now, Shri Binoy Viswam. You have four minutes.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, occasions may come, maybe, rarely in the House when the House felt to be united with common mind, common view, and this is such a day for us. A day that we devote our time for sports and for the values of the

sports, that too is brought by a young Minister. I would have to reveal it here that from the first day, when I came to the House, Anurag*ji* was my close friend, even though very young to me. We had excellent occasions, we have quarreled also, debated also. We had big debates amongst each other. But, still I have a love towards him. I believe he too have it for me. Sir, in this House, we have P.T. Usha, the pride of the country. I am very energized to say that we all knew her since so many years, since her school days. I don't know whether she remembers, I went to her house in Payyoli when she was a school student. When, she won the first medal in the school games. Since those days, Usha was so dear to us. Our State and our people used to call her the Payyoli Express. She used to run on the beaches of Payyoli. Near the house, there was a beach and there she ran early morning of every day in those days. And, that Usha has become a world renowned person and she has come to Rajya Sabha as a Member of the House. That too is a proud moment. Sir, in this day, when a new Bill on sports has come here, we have reasons to say that this is a moment of great hope also because India is going ahead in the field of sports. We learned about our victories, medals and all those things. I remember, once I met the mother of Chanu, the girl who won the gold medal recently in the Commonwealth Games. I met her mother in Imphal. From a very poor family she is and they are working people. From that family, a daughter emerged as a national figure to win the gold medal. That also is a matter to be reckoned with. Now, when we discuss about this Anti-Doping Bill, I may refer to the fact. Why is this doping? Why? Sir, it may not be very pleasing to all of us, but sports have become a big money affair. Rich people, people craving for riches, made the sports as a stepping stone for that. And, there are agencies, groups also, to help them to win this, for acquiring money, using games like that. That also is happening. So, how can we save the sports from the greed for money? It is not very easy. And, we heard General Vats here. General Vats thought of a way to go beyond the petty party politics. Sometimes, it happens here. We have politics, of course. We have to have it. And we have to be loyal to the politics also. But petty politics and politics are different. Sometimes, we need some kind of a warning to come out of that tendency. General Vats today did it. As a sportsman, with that spirit, he talked here. I support many of his views. I believe that one point that he mentioned, inter caste breeding, is important. He talked of inter-caste marriages. I request the ruling Government to think about it seriously as to why we oppose inter-religious marriages. That will also help Indians to have a more efficient, more powerful young generation who can win more and more medals. So, please come out of these petty considerations on such occasions. I hope that the words of General Vats may help us come out of this kind of a narrow way of thinking. Sir, again, when I come to the Bill,

I find a little problem with the National Board. We talk about an agency; it is a statutory agency which will now overtake the earlier society. That also is good. But, when we come to the Board, the Board is trying to become a State within the State, as he mentioned. That Board has certain powers, and that power many a time is crossing the powers of the Agency.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Binoyji.

SHRI BINOY VISWAM: I request the Minister to think of calling this as an 'Authority'. Instead of an 'Agency', why can't they call it as an 'Authority', the National Anti-Doping Authority? That can be more meaningful. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Dr. Anil Jain, not present. Shrimati S. Phangnon.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Sir, first of all, at the very outset, I would like to put forth that the National Anti-Doping Bill which was passed in the Lok Sabha on July 27 is a well-balanced and visionary Bill which will further enhance the spirit of sports and culture in our country. I most certainly think that the Bill is a positive step in the right direction. Since 2014, in India under the dynamic and visionary leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji, we have seen that the sports sector has grown by leaps and bounds. We have seen the immense support, recognition and encouragement given to our sportspersons by our Prime Minister. This fact is self-evident from the various championships and medals that our country's athletes have been winning. As I speak, our athletes are doing us proud at the Commonwealth Games in Birmingham. The country has not seen anything quite like this, therefore, I must state that in such a context, it is only right that India also does its part and fulfills its moral and international obligations which will come into reality once this Bill is passed in this august House. Sir, doping continues to plague counties worldwide and especially more so in India. In fact, five members of this year's Commonwealth Contingent failed their dope test which has once again highlighted the need for a more comprehensive and stringent anti-doping law in our country. In fact, India ranks third in the world when it comes to doping violations as per WADA 2019 Report. It is indeed a grim reminder of the need for a concerted effort to bring an end to this menace. The Bills seeks to prohibit athletes, their support personnel and also other concerned persons such as coaches from indulging in

doping, the violation of which can lead to resulting in disqualification and also including the forfeiture of medals, being barred from other events and even resulting in financial sanctions. Sir, it is a well-thought and well-intended Bill for the benefit of the country. One of the reasons being that the National Anti-Doping Agency will be constituted as a statutory body which will be headed by a Director-General and NADA will be involved in planning, implementing, monitoring as well as investigating anti-doping activities and rule violations. There will also be a National Board for Anti-Doping, the job of which is to make recommendations to the Government on anti-doping regulations and also with regard to international compliances and other commitments. It will consist of a chairperson and two members. The Board will further constitute a National Anti-Doping Disciplinary Panel which will determine the consequences of violating anti-doping rules. This Panel will consist of a chairperson and four vice-chairpersons who will all be legal experts, and ten members will comprise of medical practitioners and eminent athletes. To add more support to the purposed anti-doping law, the Board will also constitute a National Anti-Doping Appeal Panel to hear appeals and grievances against the decisions of the Disciplinary Panel. Might I add, Sir, transparency is also a key feature here because this National Anti-Doping Agency will disclose information such as which concerned rule was violated and consequences thereof. The National Dope Testing Lab in New Delhi will be the principal doping testing facility and many more such facilities will also be established.

Sir, I would like to bring to your kind attention that once the Bill becomes an Act, NADA will have powers to search, conduct raids and seize. Currently, it does not possess such powers. Sir, what this Bill basically aims to do is to bring sports into the mainstream. When I say this, it means to give effect to the UNESCO International Convention against doping in sports and other such international compliances. A legal framework is being provided to combat the menace of doping in India. It is high time that our country, which aspires to be in the galaxy of great sporting nations, also has its own effective mechanism for tackling doping in sports and the National Anti-Doping Bill exactly seeks to do that. We cannot be advocating for sporting greatness while conveniently turning a blind eye to doping. It is only fair that the Bill becomes a law. Only then will India be able to avoid international embarrassments such as the infamous record of having the most number of positive samples among the National Anti-Doping Organisations in the world. And the Bill will build institutional capabilities in anti-doping and enable hosting of major sports events, protect all sportspersons' rights and will also reinforce India's commitment to international obligations. It will also provide for clean sport, providing independent

mechanism for anti-doping adjudication. India, under the hon. Prime Minister, is not only focussing on building infrastructure, but also promoting sports as a viable career option. With the first Central Sports University coming up in Manipur, we really feel that the country now has come to a point and I commend the Union Minister of Sports, Shri Anurag Thakur and our Government, led by hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji, for moving this Bill for the welfare and progress of sports in our country. Thank you.

**श्री रामजी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर बोलने का अवसर दिया है। सभी वक्तागणों ने, सांसदगणों ने इस पर अपनी बात रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से खेल को लेकर कुछ उपलब्धियों के बारे में या कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ।

श्रीमान्, खेल तभी होता है, जब खेल के मैदान होते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें- अगर हम लोग बैक में जाएँ, 25 साल पहले जायें, तो हमारे आस पास के गाँव में, देहात में और कस्बों में खेल के मैदान होते थे। उनमें हम लोग खेलते थे, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते गये, वे सारी जगहें संकुचित हो गयीं। आज गाँव, देहात और शहरों में खेलने की कोई जगह नहीं बची हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बोलूँगा, उनसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिल में कोई प्रावधान करके लायें कि हर जिले में, कस्बे के अन्दर खेल के मैदान या स्टेडियम तथा और भी जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, उनको भी देने का काम करें।

मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा। देश के अन्दर अभी आप सभी ने कई सारे नाम सुने, जिन्होंने बहुत ही गरीब परिवेश से निकल कर देश में अपने नाम रौशन किये। उनमें से कई नामों को आप जानते हैं। उनमें से आप हेमा दास का भी नाम जानते हैं, उनमें से हम लोग वन्दना कटारिया का भी नाम जानते हैं, उनमें से उर्वशी सिंह का नाम भी हम जानते हैं। ये ऐसे नाम हैं, जो गरीबी के परिवेश से निकल कर आये हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएँ नहीं थीं, लेकिन उन लोगों ने अपना नाम रौशन किया। लेकिन ऐसे तमाम और भी बच्चे हैं, जो इस देश के मान-सम्मान को बढ़ा सकते हैं। उनको मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। इसलिए श्रीमान्, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का कोई प्रावधान लेकर आयें कि हर जिले में, कस्बे में स्टेडियम और मैदान की मूलभूत सुविधाएँ दी जायें। मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। 2007 से 2012 में उत्तर प्रदेश में हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। तब ग्रेटर नोएडा के अन्दर इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट बनाया गया। 1 लाख 10 हज़ार को कैपिसिटी का 2,000 करोड़ में इंटरनेशनल लेवल के कंस्ट्रक्शन के कार्य से वह सर्किट बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। ऐसे और भी तमाम कार्य करने की जरूरत है।

श्रीमान्, इसमें कुछ बातें रेग्युलेटरी बॉडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आयीं। यहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं सरकार से अर्ज़ करना चाहूँगा कि कम से कम इसमें जो लोग अप्वाइंट किये जायें, उनका कोई खेल का बैकग्राउंड होना चाहिए। वे या तो ऐसे लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रहे हों या कोई मेडल, गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज लेकर आए हों। ऐसे लोगों को ही इस बोर्ड में अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मोटिवेश्नल पॉलिसी तथा कंक्रीट

इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर सरकार ये चीज़ें मुहैया कराएगी, तो स्थिति सुधरेगी। आज हम लोग 5 या 10 मेडल्स लेकर आते हैं और दूसरे देशों की बराबरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि दूसरे देशों के लोग जो इतने सारे मेडल्स लेकर आते हैं, उसके पीछे क्या बात है। अगर हम लोगों को मूलभूत सुविधाएँ नहीं देंगे, तो हम लोग ऐसे ही पीछे रहेंगे, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, धन्यवाद।

SHRIMATI MAUSAM NOOR (West Bengal): I thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill, 2022. I appreciate the Minister's attempt to deal strictly with the dangerous problem of doping and to comply with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation's International Convention against Doping in Sports. This is also timely, since our country is also performing spectacularly at the Commonwealth Games. I would like to begin by congratulating the Indian contingent for its performance thus far, and wishing them luck for the rest of the games.

Sir, according to the latest World Ant-Doping Agency Report released in 2021, India ranks third in doping and has 152 cases across disciplines, only marginally below leaders — Russia (167) and Italy (157). Just last week some of our Commonwealth Games athletes were disqualified after failing routine tests for performance enhancing drugs. We were all witness to the scandal in another country where athletes were taking these drugs with State sanction and administrative support. It is important that Indian sportspersons do not fall prey to the lure of easy wins and engage in dishonest behaviour. The administrative set up of sport in the country should work to identify and nurture talent fairly and provide an environment of encouragement and guidance so that young players are not led astray. The Ministry, sports administrative bodies, coaches, former players and seniors all have a responsibility towards new players in this regard. For example, even before the present Commonwealth Games, members of the Women's Cricket Team were awaiting Visas till the last minute. Such administrative kinks should be ironed out with domestic bodies working in tandem with the international bodies.

Sir, I agree with the concerns raised by my fellow Members. The Bill does not make a sufficient distinction between minors and majors and this should be addressed under subordinate legislation so as to protect impressionable minors.

The panels mentioned in the Bill should be independent and change must be made to separate the disciplinary panel and appellate panel as well as to give the disciplinary and hearing panels protection from arbitrary removal by the Ministry.

Sir, while the Government has attempted to take a holistic view of the problem and by countering it from multiple fronts through this Bill, the socio-economic reasons

for doping have been overlooked. Research shows that one of the major reasons behind doping is a sportsperson's desperation to register significant performances. Such performances determine the quality of the Government jobs and incentives they receive after their career in sports, and, therefore, fuel an intense desperation to register quick wins in the shortest time possible. A limited professional shelf-life, combined with the unrelated and unsatisfactory desk jobs that await them post their professional careers, has always been a worry for our sportspersons. Thus, the Government must change their perspective on the career of our athletes. Provisions must be made for better monetary support during training and career periods as well as for post-retirement options to them in order to curtail their desperation. Our sportspersons must be humanized. They cannot be looked at wins dispensing vending machines. Their needs and aspirations must be given the time and space they need as they strive to take our country to new heights each day.

I would also like to point out that there must be provisions to prevent harassment of players. While carrying out raids is necessary, NADA should ensure that appropriate safeguards are implemented to protect the rights of athletes and to address the issues of privacy. There is also a need to lay down clear guidelines on what constitutes the Anti-Doping Rule violation. I would also insist that more dope testing laboratories should be opened up, preferably at least one lab in each State to ensure better accessibility and speedy test results.

In Bengal, we have a long history of encouraging sports and sportspersons. Trained in gymnastics and wrestling as a kid, the nobel laureate Rabindranath Tagore was a great admirer of Jiu-Jitsu and even invited Judo instructors to teach them at Shantiniketan. Our football clubs are legendary, and just last month, a trophy tour (Timebell rings) for the Durand Cup was launched from Kolkata in the presence of the State Minister for Youth Services and Sports.

Sir, in conclusion, I would like to commend the Ministry for bringing forward this Bill to deal with this dangerous problem, and I hope it works for both, to prevent doping and to support and encourage promising players. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mausam Noor*ji*. Now, Shri Birendra Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for allowing me to speak on the Bill. I must compliment hon. Sports Minister, Shri Anurag Thakur, for bringing this Bill at a time when our players are playing extremely good in the Commonwealth Games, which is being organised in the United Kingdom.

This Bill looks like a simple Bill, but this is a very important Bill because preventing doping in the sports is the call of the hour. The Anti-Doping Bill was introduced in our country in the year 2021. The Bill was introduced in Lok Sabha. The National Anti-Doping Bill seeks to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation International Convention against doping in sports. India is a member of World Anti-Doping agency. Actually, I am standing here to speak from my heart. Sir, I was elected as the President of the Indian Weightlifting Federation in the year 2010. When I took the responsibility, the Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation due to many, many dope positive cases. Not only that, Sir, the International Weightlifting Federation imposed a penalty of more than Rs.3 crores on Indian Weightlifting Federation. Not only this, Sir, when India organised Commonwealth Games 2010 in Delhi, Indian weightlifters were not allowed to participate in the Commonwealth Games because, at that time, the Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation and we had to pay Rs. 3 crores; otherwise, they were not going to allow our players to take part. But, Sir, I must admit that with the help of the Sports Ministry of India, we worked hard and negotiated with the International Weightlifting Federation and ultimately, the ban imposed on the Indian Weightlifting Federation was lifted by the International Federation and my players, the Indian weightlifters, participated in the Delhi Commonwealth Games. And they got two Gold Medals, total nine Medals, in Delhi Commonwealth Games.

Sir, I would like to say very proudly that in 2010, the Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation. When it was banned -- it is known to hon. Sports Minister also -- I took the responsibility. People warned me, 'why are you going to finish your career? This is the worst game. You cannot rectify this sport.' But, proudly, Sir, in 2011, the Congress meeting of International Weightlifting Federation declared that Indian Weightlifting Federation is one of the cleanest federations of the world. This is the motivation. This motivation is required.

Sir, India performed well in the Commonwealth Games. More and more medals are coming. Not only that, in the Tokyo Olympic Games, again I am happy to say that I was the *Chef de* Mission of the Indian Contingent. I led the Indian Contingent in the Tokyo Olympic Games, and India got all-time record medals. ...*(Time-bell)*... Sir, today, India is doing very good. I will tell you one thing. For the first time, India is the Lawn Bowls champion, Commonwealth Lawn Bowls champion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Just one minute, Sir. India is today Commonwealth Table Tennis Champion. In Lawn Bowls, for the first time, we have got the medal. We have got three Gold medals in weightlifting. Many, many medals are coming. Why is this happening? It is because, Sir, we have a Sports-friendly Government under the leadership of hon. Prime Minister, Narendra Modiji.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: This Government totally helps all the Federations, all the sportspersons; and the Sports Ministry, under the leadership of Anuragji is doing very well. Now, there is no problem for players. If players want to expose themselves outside India, in abroad, the Government is allowing them. All sports medicines, doctors, psychologists, everybody is available with them. With the help and motivation of the Government, under the leadership of Narendra Modi Government, the Indian sports is doing well, and I not only hope, but I proudly say, India will come within first 'three' in Commonwealth Games. With this, I support the Bill. Thank you very much.

**श्री धनंजय भीमराव महादिक** (महाराष्ट्र) : सर, आपने मुझे 'दि नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2022' पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, राज्य सभा में यह मेरी पहली स्पीच है। मैं हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी, हमारे राज्य के नेता, उप मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चन्द्रकांत दादा जी, इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ।

उपसभाध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि यूनेस्को ने वर्ष 2005 में 'वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा)' की स्थापना की थी। सभी देशों को 'वाडा' के डोपिंगरोधी नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंगरोधी संगठनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए भारत में वर्ष 2009 में 'नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (नाडा)' की स्थापना की गई। इसकी स्थापना स्वतंत्र रूप से की गई थी, लेकिन हमारे देश में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित करना, डोप प्रशिक्षण देना या उल्लंघित मामले में किसी को दंडित करना, इन सबके लिए कोई डोपिंगरोधी कानून नहीं है। खेल संबंधी स्थायी समिति ने देखा कि इसके लिए कोई सीधा और सरल प्रावधान नहीं है। अगर कोई डोपिंग करते हुए पकड़ा जाता है और उसे कोई सज़ा होती है, तो वह अदालत में उसको चुनौती देता है। इसके लिए खुले प्रावधान हैं और इसीलिए खेल संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2020-21 में डोपिंगरोधी कानून की सिफारिश की। महोदय, इस कानून को लाने की वजह यह है कि हमारे देश में खेल का और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, मज़बूत हो रहा है और यह बिल इसे और मज़बूत करेगा। यह बिल खिलाड़ियों को मज़बूत करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए लाया गया है, मैं इस बिल का समर्थन और स्वागत करता हूं।

मैंने अभी-अभी कहा कि देश में खेल का और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है। यह मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। हाल ही में टोक्यो में जो ओलम्पिक्स हुए, हमने देखा कि इतिहास में पहली बार हमें 7 मेडल्स मिले हैं, बर्मिंघम में जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं, वहां हमने 10 से ज्यादा मेडल्स पाए हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल्स पैरालम्पिक्स में हमने पाए हैं। मैं समझता हूं कि इसमें खिलाड़ियों के साथ-साथ सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सभी खेल मंत्री, चाहे अनुराग ठाकुर जी हों, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हों और चाहे किरेन रिजिजु जी हों, हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में इन्होंने जो काम किया है, 'खेलो इंडिया' जैसा प्रोग्राम, साई सेंटर्स जैसे सेंटर्स देश भर में लागू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर का टैलेंट ढूंढ़ा जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 2015-16 में लोक सभा में था, वहां स्पोर्ट्स बिल लाया गया था, तो मैं स्वयं स्पोर्ट्स बिल पर बोला था कि आज का युवा स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। पेरेंट्स उसको स्पोर्ट्स में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि स्पोर्ट्स से उसका घर चलेगा। स्पोर्ट्स से उसके घर में पैसा आएगा, वह अपनी रोज़ी-रोटी कमा पाएगा, इसका भरोसा पेरेंट्स को नहीं है। इसलिए पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज 'खेलो इंडिया' प्रोग्राम के माध्यम से ग्रामीण स्तर के लोगों को लाखों-करोड़ों रुपये मिल रहे हैं। आज मेरे कोल्हापुर के एक बच्चे को प्रो कबड्डी लीग में डेढ़ करोड़ रुपये साल में मिल रहे हैं। आज बच्चों को सालाना अच्छी कीमत मिल रही है, आज कुश्ती की प्रतियोगिता में बच्चों को 50-50 लाख रुपये का इनाम मिल रहा है। मैं केन्द्र सरकार की सराहना करता हूं कि उसके प्रयास से आज इन स्पोर्ट्स पर्सन की ज्यादा आमदनी हो रही है। पहले हमें उनकी खुराक की चिंता होती थी, लेकिन आज चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि जो बच्चे ग्रामीण स्तर से, छोटे-छोटे घरों से और साधारण घरों से आते हैं, उनको आज अच्छी तरह से पैसा मिल रहा है।

हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश में 65 प्रतिशत युवा हैं, एक युवा कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर बनने जा रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि ईनाम ज्यादा मिल रहा है, इसलिए शॉर्टकट्स के इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि स्तर बढ़ रहा है, मेडल्स बढ़ रहे हैं, तो डोपिंग के केसेज़ भी बढ़ रहे हैं। डोपिंग के संबंध में 'वाडा' ने वर्ष 2019 में जो सर्वे किया था, उसमें जो उल्लंघन के मामले आए थे, उसमें भारत सबसे आगे था। वर्ष 2019 में जो सर्वेक्षण किया गया था, भारत के 4,004 केसेज़ टैस्ट किए गए थे, उनमें सबसे ज्यादा 225 लोग बाधित पाए गए थे, यूएसए के 11,213 लोगों की टैस्टिंग की गई थी, उनमें सिर्फ 194 लोगों को बाधित पाया गया था, रशिया के 9,516 लोगों की टैस्टिंग की गई थी, उनमें से सिर्फ 85 लोगों को बाधित पाया गया था। इंडिया के सबसे ज्यादा लोग बाधित पाए गए थे। इसमें अगर एनेलिसिस किया जाए तो बॉडी बिल्डिंग के 22 परसेंट लोग थे, साइकिलिंग के 14 परसेंट लोग थे, एथलेटिक्स के 18 परसेंट लोग थे और वेट लिफ्टिंग के 13 परसेंट लोग थे। हमें इसे बहुत गम्भीरता से देखना पड़ेगा। क्योंकि आज कल लोग जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। इन्हें देने वाले और कोई नहीं हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे मसाज करने वाले लोग हैं, उन्हीं से ही मिलता है। मसाज करने वाला बोलता है कि सर, दूसरा वाला एथलीट यह ले रहा है, आपको यह लेना चाहिए, यह दवाई ली जा रही है, यह ऑर्गेनिक दवाई है, आपको भी लेनी चाहिए। यह बहुत सरल तरीके से मिल जाती हैं।

इनका एक नया नाम आया है, 'ऑर्गेनिक दवाई', ये ऑर्गेनिक हैं, आयुर्वेदिक हैं। इसी के नाम पर कालाबाज़ारी होती है, यह एथलीट्स को पता भी नहीं चलता है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ-साथ कोचेज़, टीम स्टाफ, डॉक्टर्स और मसाजर्स को भी शिक्षा और सूचना देने की आवश्यकता है।

5.00 P.M.

जब हम अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ाओं में सहभाग लेते हैं, जैसे ओलंपिक्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, वर्ल्ड गेम्स हों और अभी जितनी भी स्पर्धाएं हो रही हैं, अगर हम उनमें सहभाग लेते हैं, तो उनके कानून हमें मालूम होने चाहिए। ये सभी कंपिटिशन वाडा के नियमों के अधीन चलते हैं। हमें उनके नियम मालूम होने चाहिए। ये स्पर्धाएं चार साल में एक बार होती हैं। इसके लिए हम, हमारे बच्चे, हमारे एथलीट्स और हमारे स्पर्धक बहुत मेहनत करते हैं। एक दिन में उनका इवेंट होता है, उनको एक मौका मिलता है और उस मौके के बाद अगर वे डोपिंग टेस्ट में पकड़े जाते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ बरबाद हो जाती है, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अगर वे पॉज़िटिव पाए जाते हैं, तो उनके मेडल्स छीन लिए जाते हैं, उनकी ट्रॉफीज़ छीन ली जाती हैं, उनके सर्टिफिकेट्स छीन लिए जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है और उनका परिवार बिखर जाता है। जब वे पॉज़िटिव होते हैं, उनकी लाइफ बरबाद हो जाती है, गांव में उनकी बदनामी होती है और उनके देश की भी बदनामी होती है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

उपसभापति महोदय, आगे जाकर उनको किसी और प्रतियोगिता में सहभाग लेने का मौका भी नहीं मिलता है। उनकी छोटी-सी गलती उनकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। यह ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उन पर बहुत आकर्षक एडवर्टाइज़मेंट्स होती हैं। यदि आप ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आपका बाइसेप्स 24 इंच का हो जाएगा, आप ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आपके 6 पैक ऐब्स हो जाएंगे। ये सारे सप्लीमेंट्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। Unknowingly, यह हो सकता है। उस पर वाडा अप्रूव्ड और नाडा अप्रूव्ड लिखा होता है। मैं समझता हूं कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे स्टेरॉड्स होते हैं। इसमें वेट गेन की भी एडवर्टाइज़मेंट होती है। हमारे बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। मैं समझता हूं कि कोई भी एथलीट या स्पर्धक जान-बूझकर इसको नहीं लेता है, इसे धोखे से भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें राजनीति होती है। राजनीति सिर्फ हमारे बीच में नहीं होती है, खेल में भी बहुत राजनीति होती है। इसे भी हमें समझने की जरूरत है। इसलिए इस बिल में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि उसे अगर धोखे से कुछ दिया जाता है, तो उसे अपील करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें खान-पान पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है।

सर, मैं स्पोर्ट्स फैमिली से बिलॉंग करता हूं। मैं कोल्हापुर से आता हूं। हमारे यहां पर सभी खेलों का बहुत बड़ा कल्चर है। आपको याद होगा और सभी को मालूम होगा कि कोल्हापुर एक

ऐसा गांव है, जहां से 1952 में भारत देश को पहला ओलंपिक मेडल खशाबा दादासाहेब जाधव जी ने दिलाया था। वे कोल्हापुर के थे। अभी भी कई सारे पहलवानों के नाम आपने सुने होंगे - दादू चौगुले जी थे, डबल हिन्द केसरी थे, श्रीपद खजनारे जी अंदरखर पहलवान और बिराजदर जी भी थे। यहां पर हरियाणा के कई पहलवानों के नाम लिए गए थे, तो हमें भी हमारे कोल्हापुर के पहलवानों पर गर्व है। मेरे पिताजी भीमराव महादिक जी बहुत बड़े पहलवान थे और लक्ष्मण वरार थे। मेरा छोटा बेटा कृष्णराज महादिक, उसके बारे में हमारे खेल मंत्री जी जानते हैं, वह फार्मुला थ्री वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है। हमारे लोक सभा के अध्यक्ष जी ने भी उसका ज़िक्र किया था। हमारे कोल्हापुर में क्रीड़ा का बहुत बड़ा कल्चर है। हमारे वीरधवल खड़े जी स्विमिंग में ओलंपिक में जा चुके हैं, हमारी तेजस्विनी सांवत शूटिंग में ओलंपिक में जा चुकी हैं, राधिका बराले शूटिंग में ओलंपिक में जा चुकी हैं। यहां बड़ा स्पोर्ट्स कल्चर है। मैं मंत्री जी से डिमांड करता हूं कि ये छोटे-छोटे घरों से आते हैं तो इसमें स्पोर्ट्स बजट बढ़ना चाहिए। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि आपको इस बिल के द्वारा अवेयरनेस करने की जरूरत है। इसका अवेयरनेस स्कूल स्तर पर होना चाहिए। मैं खुद सात संगठनों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं कबड्डी, Petanque, फेंसिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग सभी असोसिएशन्स का अध्यक्ष हूं। मैं खेल को बढ़ावा देता हूं और एकेडमिक लेवल पर, स्कूल लेवल पर, जिला लेवल पर जैसे मैंने आपको बताया फिज़ियोथेरेपिस्ट्स और डॉक्टर्स, सबको इसमें अवेयर करने की जरूरत है। जैसे बताया गया कि एशिया में छः लैब्स हैं, हमारे यहां आधुनिक लैब्स बनाने की जरूरत है। जो अपील पैनल होगा, उसमें जब भी कोई बच्चा अपील करता है, जब तक उसका रिज़ल्ट आता है, तब तक उसको फाइनेंशिल असिस्टेंट देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आप उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसके बाद उसको हमेशा के लिए बैन न करें। उसको फिर से दोबारा खेलने का मौका दिया जाए। जो अध्यक्ष होने चाहिए, मुझे लगता है कि वे कोई रिटायर जज हों, जो बायस न हों। फिर उसमें उपाध्यक्ष भी होने चाहिए, वे भी कोई कानून विशेषज्ञ होने चाहिए। उनमें जो सदस्य होने चाहिए, वे सीनियर डाक्टर्स या रिटायर्ड एथलीट्स होने चाहिए। इस माध्यम से मैं ये सुझाव आपको देना चाहता हूं। सर, मैं खुद भी एक नेशनल रेसलर रह चुका हूं, नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुका हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** माननीय उपसभापति जी, मैं सबसे पहले तो नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर चर्चा में जो माननीय सांसद शामिल हुए, जिन्होंने भाग लिया, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स जी, श्री एन.आर. इलांगो जी, डा. सांतनु सेन जी, श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला जी, श्री के.आर. सुरेश रेड्डी जी, डा. जॉन ब्रिटास जी, श्री संजय सिंह जी, डा. फौजिया खान जी, श्री जी.के. वासन जी, श्री अब्दुल वहाब जी, श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार जी, डा. एम. थंबीदुरई जी, डा. अनिल अग्रवाल जी, डा. अमर पटनायक जी, श्री बिनोय विस्वम जी, श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक जी, श्री रामजी, श्रीमती मौसम नूर जी, श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य जी, श्री धनंजय भीमराव महादिक जी एवं अन्य सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने इस बिल का समर्थन किया है और बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

उपसभापति महोदय, कोपनहेगन डेक्लेरेशन, जो Anti-Doping Declaration in Sports हुई थी, यह 2003 में हुई थी, जिस पर भारत ने सहमति जताई और यूनेस्को का इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो 2005 में डोपिंग के विषय को लेकर था, डोपिंग इन स्पोर्ट्स को लेकर था, उसके हम सिग्नेटरी हैं और नवम्बर 2007 में हमने उसको रैटिफाई करने का काम किया था। इसके बाद पिछली बार जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए, उससे पहले यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन्स बने। नेशनल डोप टैस्टिंग लैब की स्थापना हुई और लगातार कई वर्षों तक इस पर काम भी हुआ, लेकिन स्टेट्युटरी बॉडी बने, हमारे यहां पर उस पर कानूनी प्रक्रिया हो, यहां पर कोई एक्ट बने, उसकी एक कमी देखने को मिलती थी, जबकि दुनिया के तीस देशों में इसको पूरा किया गया था। आज राज्य सभा में आप सभी के सहयोग से, आपकी पूर्ण सहमति से यह बिल पास होगा, तो भारत भी दुनिया भर के उन देशों में आएगा, जहां पर इस पर स्टेट्युटरी संविधान बन पाएगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता इस बात की भी है कि जब लोक सभा में इसको लेकर आए और सदन के सदस्यों ने वहां पर कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, तो पिछले साल दिसम्बर में हमने इसको वहां भेजा। मैं डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे जी और कमेटी के सभी मेम्बर्स का आभार प्रकट करता हूं। कमेटी ने मात्र तीन महीनों के अंदर बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करके बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। हमने अधिकतर सुझाव और मैं कहूंगा कि सारे ही सुझावों को इसमें शामिल करने का काम किया है, तो मैं कमेटी के सदस्यों का भी यहां पर आभार प्रकट करना चाहता हूं।

सर, शुरुआत में जहां एक ओर माननीय दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने विषय को रखते हुए यहां पर बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उन पर बाद आऊंगा, लेकिन कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो, तो सब कुछ अच्छा होता है। आप स्वयं एक खिलाड़ी हैं, खेल प्रशंसक हैं, खेल प्रमोटर भी हैं और ऐसे राज्य से आते हैं, जहां से खिलाड़ी भी आते हैं और हर सरकार ने, एक के बाद दूसरी सरकार ने लगातार खेलों के प्रति अच्छा काम किया है। यही कारण है कि देश के लिए मेडल जीतने में हरियाणा की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। जहां एक ओर हरियाणा की सरकार, हरियाणा राज्य, हरियाणा के खिलाड़ी, सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं, वहीं बाकी राज्यों को भी इससे सीखने का अवसर मिलता है। खेल राज्य का विषय है। Sports is a State-subject and every State has to play a very, very important role in creating sports infrastructure, not only in creating facilities but also in promoting sportspersons and creating jobs for them also. I will touch those points a little later, but I will now come to what has been done in the past few years. I would like to throw some light on that.

सर, जब यहाँ पर 'नाडा' की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात कही गई है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत आज ऐसी स्थिति में है कि जब यहाँ पर कॉमनवैल्थ गेम्स का आयोजन हुआ, तो उसके बाद कुछ और बड़े इवेंट्स का भी आयोजन हुआ है। अगर मैं आज की बात करूँ, तो भारत - जहाँ से चैस की शुरुआत हुई, यहाँ शतरंज के खेल की शुरुआत हुई और वह यहाँ से पूरी दुनिया में गया, लेकिन भारत में चैस ओलंपियाड कभी भी नहीं हुआ था और मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 44वाँ चैस ओलंपियाड भारत के महाबलीपुरम में आयोजित हो रहा है और दुनिया के 187 देश इसमें भाग ले रहे हैं। देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, चैन्नई में जाकर इसकी शुरुआत

की। वहाँ पर चैस को लेकर एक पूरा वातावरण खड़ा हुआ है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, जिसका चैस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम चैस की बड़ी उपलब्धियों पर बात करें, तो उसमें तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। मैं तमिलनाडु को इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूं कि वहाँ से एक के बाद दूसरे खिलाड़ी आए हैं। जब यहाँ पर, दिल्ली में चैस ओलंपियाड की पहली टॉर्च रिले हुई थी, जो आज तक कभी नहीं हुई थी, उस समय मैंने व्यक्तिगत रूप से भी फिडे के प्रेज़िडेंट आरकेडी वोरकोविच से बात की, ऑल इंडिया चैस फेडरेशन से भी बात की और हमने देश में एक प्रथा शुरू की। अगर दुनिया भर में कहीं पर चैस ओलंपियाड की कोई पहली टॉर्च रिले हुई है, तो वह भारत में ही हुई है। हमने दिल्ली से उसकी शुरुआत की है।

सर, क्योंकि हम आज़ादी का 75वाँ वर्ष मना रहे हैं, इसलिए हम देश की ऐसी 75 लोकेशन्स पर गए, ताकि चैस ओलंपियाड और चैस के खेल को लेकर लोगों में जागरूकता भी पैदा हो। यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। यह 27 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा का सफर हुआ है और इसके साथ लाखों लोग जुड़े हैं। जब महाबलीपुरम में वापस टॉर्च पहुंची, तो यहाँ पर भी देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने - सर, जब यह टॉर्च रिले शुरू हुई, तो किसको दी? पाँच बार के विश्व विजेता कौन हैं? वे विश्वनाथन आनंद हैं। उन्होंने यह टॉर्च उनको दी। उनको लेकर जब अगले दिन यह लाल किले पर गई, तो पूरे देश में गई और अंतिम दिन फिर विश्वनाथन आनंद जी ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री जी को इस टॉर्च को वहाँ पर जाकर वापस सौंपा। इसको वहाँ पर दो युवा खिलाड़ियों ने स्थापित किया। सर, मेरे ऐसा कहने के पीछे केवल एक मतलब है कि भारत बड़े आयोजन कर रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले, 2017 में फुटबॉल का अंडर-17 वर्ल्ड कप हुआ था। यह बहुत शानदार और सफल आयोजन हुआ था। एएफसी फीफा ने अगले आयोजन की जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर दे दी। हम इसी साल, अक्टूबर में गर्ल्स के लिए अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं। सर, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएँ।

महोदय, डोप टैस्टिंग लैब बनाना और फिर उसकी क्षमताओं को बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था। आज हमारी क्षमता साल में लगभग 6 हज़ार टैस्ट्स करने की है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बड़ी चैंपियनशिप करवानी हो, तो एक महीने में लगभग 10 हज़ार टैस्ट्स करने की क्षमता हासिल करनी होगी। उसके लिए देश में कहीं न कहीं कानून भी हो और व्यवस्था भी खड़ी हो, उतने साइंटिस्ट्स भी हों, उतने लैब टैक्नीशियन्स भी हों और देश भर में उतनी टैस्टिंग लैब्स खड़ी हो सकें, मैं उत्तर तक आते-आते उसके विस्तार में भी जाऊंगा।

महोदय, आपने ''खेलो इंडिया' यूथ गेम्स की बात कही, आपने 'खेलो इंडिया' यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कही मैं उस संदर्भ में आपको यह बताना चाहता हूं कि तब आपदा का समय था और देश भर में बहुत सारे आयोजन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब हमने बेंगलुरु में 'खेलो इंडिया' यूनिवर्सिटी गेम्स कीं, तो वहाँ पर कल्पना से ज्यादा एथलीट्स आए, जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ से थे। वहाँ पर लगभग 5 हज़ार से ज्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने आकर भाग लिया। सर, वहाँ पर बहुत सफल आयोजन हुआ। वहाँ देश की अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ आईं। उनमें से कोई पंजाब से थी, कोई हरियाणा से थी और कोई महाराष्ट्र से थी। उन्होंने वहाँ पर बहुत सफल प्रदर्शन किया। सर, 'खेलो इंडिया' यूथ गेम्स का कहीं और नहीं, बल्कि हरियाणा के ही पंचकुला और ऐसे अन्य पाँच-छह स्थानों पर

आयोजन हुआ और उसमें लगभग 8 हज़ार 5 सौ से ज्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने आकर भाग लिया। सर, 'खेलो इंडिया' यूथ गेम्स में 12 नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे। जिन 12 रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम किया गया, उसमें से 11 को तोड़ने का काम लड़कियों ने किया है, यानी कि नये 11 नेशनल रिकॉर्ड्स बने तो उन्हें लड़कियों ने बनाने का काम किया है।

आयोजन एक के बाद दूसरे हो रहे हैं, लेकिन 'खेलो इंडिया' यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में ट्रैडिश्नल गेम्स को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे योगासन की बात करें, थांग-टा की बात करें, कलारीपयट्टू की बात करें या फिर गतका की बात करें या मल्लखम्भ की बात करें, इन पांचों गेम्स को वहां पर लाया गया। ये इतने बड़े आकर्षण का केन्द्र बने हैं, इसकी शायद पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह प्रधान मंत्री मोदी जी की कल्पना थी, जिससे इनको शामिल किया गया और ट्रैडिश्नल गेम्स को शामिल करके हमें बहुत सफलता भी मिली है। आपके भी कोई और सुझाव हों, आपके राज्यों में, देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कोई ट्रैडिश्नल गेम्स होते हों तो कृपा करके आप उसका सुझाव भी दीजिए, हम उनको भी भविष्य में शामिल करने का प्रयास, समय-समय पर अगर कभी भी होगा तो करेंगे।

माननीय सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कुछ विषय उठाये हैं कि हमारी एनडीएलटी की सस्पेंशन हो गई थी। मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में भी कहा है कि उसके कई कारण रहे। वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों में बहुत अंतर है। वेट लिफ्टिंग जहां एक ओर ओलम्पिक स्पोर्ट है, इससे हमें मेडल्स भी आते हैं। मीराबाई चानू ने ओलम्पिक मेडल जिताने का काम किया तो एक बेटी ने ही भारत को पहला मेडल भी जिताया, वह भी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जिताने का काम किया था और अब कॉमनवैल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम भी मीराबाई चानू ने किया है। मैं अंतर इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ, जब बॉडी बिल्डिंग वालों के टैस्ट ज्यादा हो गये और उसकी भी रिकार्डिंग कर-कर के जिस तरह से उन्हें डाला गया, उसके कारण भी देश की छवि खराब हुई।

एक विषय जो और आया, जिसको मैं आगे आकर फिर टच करूंगा, ऑफ दि शेल्फ जो आपको प्रोटीन पाउडर्स और बाकी चीजें मिलती हैं, उसका नुकसान भी क्या होता है, उसको भी एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग उनको भी लेते हैं। हमने प्रयास किये और जब मुझे जिम्मेदारी मिली, मुझे लगा भी कि यह बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम किसी एक टैस्ट को कराने के लिए यहां से सैम्पल बेल्जियम भेजते हैं तो उसकी कॉस्ट देश से तीन गुना ज्यादा आती है। इससे देश को नुकसान भी होता है और टैस्टिंग जो देश में हो सकती है, वह भी किसी दूसरे के हाथ में पहुंच जाती है।

आपदा के समय प्रधान मंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो एक कल्पना की थी, यह National Anti-Doping Agency हो या NDTL (National Doping Testing Laboratory) हो, जो हमने बनाई है, हमने इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा भी करेगी और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि हम केवल एक लैब तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम और लैब्स की स्थापना करने का काम भी भविष्य में करने वाले हैं। एक लैब को स्थापित करने में लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आया है। कई बार तो एक-एक मशीन ही 8 करोड़, तीन करोड़, सात करोड़ रुपये में आती है और इसमें साइंटिस्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। एक चैलेंज यह भी है कि जो लोग यहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, कई बार वे विदेशों

में भी चले जाते हैं, कई बार अलग-अलग क्षेत्रों में वे काम करना शुरू कर देते हैं। उनको होल्ड करना भी अपने आपमें एक चैलेंज है। भारत में अलग-अलग देशों के सैम्पल्स भी हमने यहां पर टैस्ट करने की शुरुआत की है। अब हम 16 देशों के सैम्पल्स की टैस्टिंग भी करते हैं और भविष्य में भारत टैस्टिंग का हब बने, इस दिशा में हम आगे जाएंगे। हम केवल देश तक ही सीमित नहीं होंगे, दुनिया भर के देशों में जाएंगे, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं, कम खर्चे पर कम समय में हम टैस्टिंग करके न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के देशों को दे सकें, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।

एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भी हम कोई कानून बनायें तो सवाल उठता है कि आपने कंसलटेंसी किससे की, क्या आपने अपने देश के लोगों से पूछा, नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशंस से पूछा, राज्यों की स्पोर्ट्स असोसिएशंस से पूछा, खिलाड़ियों से पूछा, माननीय सांसदों से पूछा या देश में जो भी खेल संघों से जुड़े लोग हैं, क्या उनसे पूछा या यूनेस्को की जो गाइडलाइंस हैं, क्या आपने उनको शामिल किया या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की गाइडलाइंस हैं, उनको लागू किया? मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और यह बताना भी चाहता हूं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने दो बार हमें जो सुझाव दिये, उनको भी शामिल किया गया। यूनेस्को के रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क में भी जो कहा गया, उसको भी शामिल किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन से लेकर हमारी पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी यहां पर सुझाव आये, हमने सबको शामिल करके आपके सामने बिल लाने का काम किया है। लोक सभा में इसको आम सहमति के साथ पूरे समर्थन के साथ पास किया गया। मुझे पूर्ण आशा है, जैसा आपने समर्थन किया, आगे भी आप इसको पूर्ण सहमति से पास करेंगे। सर, इसके पास होने के बाद ऐसा होगा कि जो दुनिया के बड़े देश हैं, जैसे यूएसए, चीन, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ऐसे गिने-चुने देशों में भारत का नाम भी आएगा, जिसका अपना कानून होगा, अपना एक्ट होगा और अपनी डोप टैस्टिंग लैबोरेटरी भी देश में स्थापित होगी और आने वाले समय में देश के अलग-अलग कोनों में भी होगी। इससे हमारी जो इंस्टिट्यूशनल कैपेसिटी है, हम इसको और मजबूत करने वाले हैं, ताकि हम यहीं पर टैस्टिंग भी करें और जैसा मैंने पहले कहा, आज हम मात्र 6 हजार सैंपल्स लेकर पूरे साल में टैस्ट कर सकते हैं। भविष्य में हम इसको कई गुणा और बढ़ाने का काम भी करेंगे और इस सब-कॉन्टीनेंट में भारत डोप टैस्टिंग लैबोरेटरी के रूप में एक बड़ी ताकत के रूप में यहाँ पर खड़ा होगा।

सर, यहाँ पर कुछ बातें कही गईं, दीपेन्द्र जी ने भी शुरू में कहा कि 'माइनर एथलीट्स' को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जो ओरिजिनल बिल था, उसमें कमी थी, लेकिन जब यह पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी में गया, तो वहाँ पर बड़े विस्तार में कमेटी ने कहा कि आपको प्रोटेक्टिव एथलीट्स को लेना चाहिए। हमने प्रोटेक्टेड पर्संस की जो कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट की है, उसमें कौन-कौन आते हैं। हमने इसमें स्पेशल प्रोविज़न ऐड किया है, जिसमें 'माइनर एथलीट्स' हैं। 'माइनर एथलीट्स' नाम यहाँ पर दिया गया है, रूल्स में आप इसको समय-समय पर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आज वाडा के अनुसार यह 16 साल है। कल को अगर वाडा इसको 15 साल करता है, 14 साल करता है, या हमें लगता है कि इस उम्र को बदलना है, तो हम उसमें रूल्स को बदल सकें, बार-बार पार्लियामेंट में आने की जरूरत न पड़े, हमने उसमें ऐसा करने का प्रावधान यहाँ पर कर दिया है। इसी तरह से 'रीक्रिएशनल एथलीट्स' को भी यहाँ पर

रखा गया है और 'एथलीट्स विद डिसैबिलिटीज़', ये प्रोटेक्टेड पर्सन्स में आएँगे, ताकि इसके कारण आपको ज्यादा दिक्कत भी न आए और इसमें हमने रिलैक्सेशन देने का काम किया है।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** : 'माइनर एथलीट्स' की डेफिनिशन इस बिल में नहीं है।

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर** : प्रोटेक्टेड पर्सन्स वाले में तीन कैटेगरीज़ आएँगी - 'माइनर एथलीट्स', 'रीक्रिएशनल एथलीट्स' और 'एथलीट्स विद डिसैबिलिटीज़'। हमने उसमें तीनों को कवर कर दिया है।

सर, दीपेन्द्र जी ने यहाँ एक और प्रश्न पूछा और उन्होंने फिक्स्ड मिनिमम नम्बर ऑफ सैंपल लेने की बात कही। हमने इसमें यही किया है कि देश भर में हमारे जितने टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वे नेशनल स्पोर्ट्स फेडेरेशन के हों या बाकी हों, हम उनमें प्रयास करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा हों और जो स्टेट लेवल पर हाई रिस्क डिसिप्लिंस हैं, उनको लेकर भी जो गाइडलाइंस हैं, हम उनके अनुसार टैस्टिंग करेंगे, ताकि वे भी हों। लेकिन एक बात मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम यहीं तक नहीं रुके हैं। हमने इससे पहले भी देश भर में बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए और उसकी कुछ जानकारी मैं आप सबके सामने देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिल के पास होने से एंटी डोपिंग की अवेयरनेस, एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज़ में वृद्धि होगी।

सर, नाडा और एनडीटीएल ने पिछले एक साल में क्या किया, मैं थोड़ी उसकी जानकारी दे दूँ, ताकि यह भी पता चले कि हम अभी क्या कर रहे हैं। नाडा ने 100 एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस वर्कशॉप हाइब्रिड मोड में की, क्योंकि कोविड चल रहा था, जहाँ पर एथलीट्स और एथलीट्स स्पोर्ट्स पर्सनल, इन दोनों को जानकारी दी गई। इसके अलावा, नाडा ने तीसरी फंड अप्रूवल कमेटी यहाँ पर की और कॉप8 ब्यूरो की सेकंड मीटिंग की, जो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग के अंतर्गत आती है। उसमें हमने न केवल होस्ट किया, बल्कि मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता भी होती है कि एक साल पहले जहाँ हमारी सस्पेंडेड टैस्टिंग लैबोरेटरी थी, इस बार जब हमने होस्ट किया, तो इंडिया को फंड अप्रूवल कमेटी का चेयरपर्सन भी चुना गया और ब्यूरो का मेम्बर भी चुना गया। हमने एक साल में यह सब कुछ किया है। जब आज आप यह कानून बनाने जा रहे हैं, तो इसके बाद दुनिया भर के देशों में और वाडा में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत खेल, खिलाड़ियों और डोपिंग को लेकर बहुत गम्भीर है। आज सदन यहाँ से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। सर, नाडा ने सक्सेसफुली 157 लीगल हियरिंग की और एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल तथा एंटी डोपिंग अपील पैनल ने इसके 87 ऑर्डर्स भी इश्यू किए हैं।

FSSAI has issued regulations for mandatory testing of dietary supplements but no laboratory under the Government is doing such testing, hence, यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके ऑर्डर्स तो पास कर दिए गए हैं, लेकिन टैस्टिंग करने वाली कोई लैब नहीं है, इसलिए एक कदम और आगे जाकर, गुजरात में जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। वहां वे एक ऐसी लैब स्थापित करेंगे, जहां पर न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट्स की टैस्टिंग को हम नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने की शुरुआत करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में हम उठाने जा रहे हैं।

सर, स्टैंडर्ड डायटरी सप्लीमेंट्स और नॉन-स्टैन्डर्ड वन्स का जो एग्ज़िस्टिंग गैप है, उसको भी हम खत्म करेंगे। जब एक तरफ यह टैस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो हम ये दूसरा जागरूकता अभियान भी देश भर में और तेज़ी के साथ लेकर जाएंगे। सर, नाडा के माध्यम से जब हमने डीजी, नाडा की नियुक्ति की, तो एक प्रश्न बीच में आया था कि आखिरकार सरकार ने डीजी, नाडा की नियुक्ति कैसे की या उनके ऑफिशियल्स की नियुक्ति कैसे की गई? सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो वाडा की गाइडलाइंस हैं, वे हमें यह अनुमति देती हैं कि सरकार या खेल मंत्रालय इन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बाकी अन्य देशों में भी इनकी नियुक्ति की गई है। एक विश्वास मैं आपको और दिलाना चाहता हूं, that they will work at arm's length. यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है और यहां पर सरकार की कोई दखलंदाज़ी नहीं होगी। चूंकि यह खेल और खिलाड़ियों के भविष्य की बात है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत गम्भीर हैं। हम इसको मज़बूत ही करेंगे और इसमें कोई दखलंदाज़ी नहीं होगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं।

सर, नाडा ने अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को शामिल करके एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड अवेयरनैस टूल किट को भी डेवलप किया है। इसको केवल फिज़िकल तौर पर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसके साथ हमने डिजिटल प्रावधान भी तैयार किए हैं। यहां पर टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया गया है। जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स हुईं, तो वहां पर हमने एथलीट्स को अवेयर भी किया, उन्हें सेंसिटाइज़ भी किया और टैस्टिंग करने का काम भी किया। इसके साथ-साथ हम जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने खिलाड़ियों को स्वयं उस एप्लीकेशन को यूज़ करने की जानकारी भी दी।

सर, मेनुअल सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ऑटोमेशन और डिजिटलाइज़ेशन एक प्रयास है। हम लगातार वेब-बेस्ड एप्लीकेशंस को भी बना रहे हैं। इसके साथ डिजिटल क्विज़ और एजुकेशनल रिसोर्सेज़ को भी तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो स्कूलों के बच्चे हैं, वे चाहे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में फिज़िकली इन्वॉल्व्ड न भी हों, तो भी उनको जानकारी हो कि डोपिंग होता क्या है और क्या करने से आप फंस सकते हैं। यह केवल अवेयरनैस की बात नहीं है।

सर, दीपेन्द्र जी और कुछ अन्य माननीय सांसदों ने कहा कि कुछ खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही पकड़े गए। एक इंसिडेंट तो ऐसा है कि एक खिलाड़ी की टैस्टिंग करनी थी, जहां उनको बताना था कि आप कहां पर हो, चूंकि इसमें एक वेयरअबाउट क्लॉज़ होती है, लेकिन वे उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। एक जगह, दूसरी जगह, एक महीना लटकाने के बाद जब उनका चैक-अप हुआ तो वे डोपिंग टैस्ट में पॉज़िटिव आए और पकड़े गए। इस तरह कहीं न कहीं खिलाड़ियों को भी पता है कि वे गलत करते हैं और बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा करके वे अपना ही नहीं, देश का भी नुकसान करते हैं। इसमें देश के टैक्सपेयर का कम रुपया बरबाद नहीं होता है। सर, टारगेट ओलिम्पिक पोडियम स्कीम पर 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा एलीट एथलीट की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और आउट-ऑफ-पॉकेट अलाउंस पर खर्च होता है। एक खिलाड़ी को एक साल का 6 लाख रुपया जेब खर्च दिया जाता है। विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करने और कॉम्पिटीशन में भाग लेने का सारा खर्च भी पूरी तरह से भारत सरकार ही वहन करती है।

सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रखी जाती है, लेकिन एथलीट को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए हम खिलाड़ियों को सेंसिटाइज़ करने का प्रयास भी कर रहे हैं और ज्यादा टैस्टिंग करने का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम रिसर्च मेटीरियल और बाकी सब चीज़ें भी तैयार कर रहे हैं। आईआईटी, दिल्ली के साथ हम नेशनल डोप टैस्टिंग लैबोरेटरी का एमओयू साइन करने की दिशा में हैं, ताकि वे भी इसमें अपना योगदान दे सकें।

सर, दीपेन्द्र जी ने यहां और भी कुछ बातें पूछी हैं, जिनमें से हाई-रिस्क एथलीट्स के बारे में मैंने बता दिया है। दूसरा उन्होंने डीजी, नाडा या नाडा के काम-काज के बारे में पूछा है, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस बिल में हमने ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस देने का सेफगार्ड भी रखा है। वाडा की तरफ से जो सजेशंस हमें मिले थे, हम उनको भी रूल्स में फ्रेम करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम उन सारी चीज़ों का प्रावधान करेंगे, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत न आए, जहां सरकारी दखलंदाज़ी आपको कहीं सीधे तौर पर नज़र आए। ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा। इसके अलावा आपने रिमूवल और अप्वाइंटमेंट की बात कही। यह वर्ड दुनिया भर में जो अलग-अलग देशों में कानून बने हैं, उनके अनुसार ही किया गया है। जो पॉवर्स पहले बोर्ड को थीं कि कहीं डायरेक्शंस नहीं दे सकते, चूंकि उसे डायरेक्शन देने की पॉवर्स नहीं है, इसमें केवल रिकमेंडेटरी पॉवर्स रखी गई हैं।

आपका एक सुझाव आया था कि आर्बिट्रेशन करने के लिए लॉसने, स्विटजरलैंड में क्यों जाएं? सिंगापुर में भी उनका एक्सटेंशन ऑफिस है, जो मैटर ऑफ हियरिंग के लिए वहां इस्तेमाल होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, मैं यहां कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम प्रयास करेंगे और सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि भविष्य में भी हियरिंग के लिए अगर यहां कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स हो और भविष्य में अगर वह अपनी एक्सपैंशन करते हों, तो भारत भी उसमें पिच करेगा कि कभी भविष्य में यह यहां बने, अन्यथा डिजिटल और वर्चुअल हियरिंग्स तो आजकल होती ही हैं, उसमें भी बहुत ईज़ हो गई है, ताकि हम यहां से भी अपनी बात रख सकें।

माननीय सदस्यों ने हरियाणा के बारे में काफी कुछ कहा, मैं उस पर जरूर कहूंगा। आपने और जनरल साहब दोनों ने खूब बातें हरियाणा के बारे में कहीं हैं। हरियाणा का खेलों में बहुत बड़ा योगदान है, जिसको पूरा देश मानता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हरियाणा और बाकी राज्य चाहे वह तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की बात करें, मैं कहता हूं कि अगर सारे नॉर्थ-ईस्ट को जनसंख्या के आधार पर देखें मुझे किसी ने एक बार सवाल पूछा कि आप नौ सौ करोड़ रुपये की नेशनल स्पोर्टस यूनिवर्सिटी मणिपुर में क्यों खोलने जा रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि 'लुक ईस्ट' के बजाय 'ऐक्ट ईस्ट' पॉलिसी पर मोदी सरकार ने काम करने का काम किया है और नॉर्थ-ईस्ट के खिलाड़ियों ने खेलों के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मणिपुर में यदि आप सड़क पर निकल कर जाएंगे, तो लगता है कि हर परिवार ही सड़क पर है, कोई भाग रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई अन्य एक्टिविटी कर रहा है, तो वहां खेलों को लेकर एक कल्चर पैदा हुआ है। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत सारे राज्य अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं और कुछ तो यहां बोलते हुए हवा में ही किले बना रहे थे, अभी वे माननीय सांसद यहां नहीं हैं, वे

चले गये हैं। उन्होंने खेल यूनिवर्सिटी की बात कही, लेकिन वह कहां है? यहां की जनता पूछ रही है कि वह खेल यूनिवर्सिटी कहां है? मैं उस पर बाद में आऊंगा, वे बजट की बात भी कर रहे थे।

सर, यहां पूछा गया कि खिलाड़ियों के इम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है? जनरल वत्स ने भी पूछा कि पूर्व खिलाड़ियों की इम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है? इस पर बहुत सारे राज्य अपनी तरफ से अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं और बहुत सारे राज्य इस बात की कम्प्लेंट्स भी करते हैं, परंतु राज्यों को देखना मेरा विषय नहीं है।

महोदय, देश का कोई भी एथलीट, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉज मेडल जीतकर आता है, हमने समय रहते बार-बार उनकी अवार्ड फीस बढ़ाई और समय-समय पर उनको सम्मानित करने का काम भी किया है। कुछ राज्य बहुत ज्यादा पैसा देते हैं और कुछ कम देते हैं। किसी ने मुझे कहा कि हॉकी की टीम जीतकर आई, तो हरियाणा ने उस टीम को 6 करोड़ रुपये दे दिये, तो केरल वाले दो करोड़ रुपये क्यों देते हैं? यह राज्य का विषय है, इसमें मैं कहीं इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे पैरालम्पिक से जीत कर आएं, चाहे डेफलिम्पिक्स से जीत कर आएं और चाहे ओलिम्पिक्स में जीत कर आएं, हमने सबको एक समान पैसा देकर सम्मानित करने का काम किया है, हमने कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया।

जैसा मैंने पहले कहा कि स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है और इसके लिए राज्यों को ही प्रयास करने हैं, केन्द्र सरकार, राज्यों की सरकार, National Sports Federation, State Associations, corporate and NGOs, they should come forward, join hands and work for the promotion of sports. It is happening for the last few years. मैं यह नहीं कहता कि पहले की सरकारों ने नहीं किया, हर सरकार प्रयास करती है। जैसा आपने सदन में देखा कि लोक सभा और राज्य सभा के सभी सांसदों में से केवल एक सांसद को छोड़कर और किसी ने राजनीति करने का प्रयास नहीं किया, सबने यहां खेल भावना के साथ इस चर्चा में भाग लिया है। मैं आप सबका इसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, इसमें खेलो इंडिया की बात की गयी। डीओपीटी के रूल्स हैं। स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स सरकार भी देती है, भारत सरकार भी देती है। इसके अलावा हमारी अलग-अलग स्कीम्स हैं। सर, जब मैं यहाँ पर खेल मंत्री बना, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पिछले दो दशकों से एक बदलाव होना था। हमने बहुत सारी पोस्ट्स सरेंडर कीं, ताकि कोचेज़ की नियुक्ति की जा सके। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 400 कोचेज़ की नियुक्ति सीधे तौर पर कर दी है। अब हम 1,000 'खेलो इंडिया' सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, जिनमें से 580 से ज्यादा की हमने अनुमति भी दे दी और यहाँ पर जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उनको खेल का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए पैसे देने का प्रावधान हमने बजट में किया है। यह पूर्व खिलाड़ियों के लिए एक तरह से खेलों को बढ़ावा देने, ट्रेनिंग देने में सहायता करेगा और उनकी कमाई का साधन भी बनेगा। वहाँ पर हमने यह भी करने का काम किया है।

सर, यहाँ पर एक बात यह कही गयी कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए। सर, यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत डायनेमिक है। वह वाडा के हिसाब से हर साल चेंज होता रहता है। मैं आज अगर इसके साथ एक लिस्ट अटैच कर दूँगा तो फिर मैं बँध जाऊँगा। हो सकता है कि मुझे बार-बार, तीन महीने, छः महीने या एक साल

बाद आपके पास फिर आना पड़े। इसलिए उसको रूल्स में रखा है। जैसे-जैसे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होगा, हम उसके रूल्स में बदलाव करते रहेंगे ताकि उसके लिए सदन को बार-बार तंग नहीं करना पड़े।

सर, प्रोटेक्टेड परसन पर मैंने पहले कह दिया। एन.आर. इलांगो जी ने उस पर कुछ सवाल खड़े किये थे। इसके अलावा, जनरल वत्स जी ने पूछा था कि सैम्पल्स को कैसे लिया जाता है। सर, सारे सैम्पल्स एक बहुत साइंटिफिक तरीके से लिये जाते हैं और उनको स्टोर भी बड़े सेक्योर तरीके से किया जाता है। यह एक टैम्पर-प्रूफ प्रोटोकॉल है और इसमें टैम्पर-प्रूफ किट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि इसमें खिलाड़ी के वर्षों-वर्षों की मेहनत जुड़ी हुई है, इसलिए कोई नहीं चाहता कि कोई गलत सैम्पल ले। अब तो खिलाड़ी भी बहुत जागरूक हैं, क्योंकि एक-दो इंस्टांसेज़ पहले ऐसे हुए हैं कि किसी ने किसी के पानी में कुछ मिला दिया। अब खिलाड़ी यहाँ तक जागरूक हो गये हैं कि वे प्लास्टिक की बोतल भी नहीं लेते, ताकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर या देश में कोई उसमें कुछ इंजेक्ट न कर दे। ऐसा भी बहुत सारी जगहों पर होता है तो उसके प्रति हम उनकी जागरूकता भी करते हैं और यहाँ पर हम टेम्पर-प्रूफ किट्स और प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करते हैं। इस बिल के आने से तो हम उसको और सशक्त ही करने जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आयेगी, इस बात का विश्वास भी मैं आपको दिलाता हूँ।

सर, डा. सांतनु सेन जी ने भी यहाँ पर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस की, डीजी, नाडा की और बाकी नाडा के ऑपरेशंस की कुछ बातें उठायीं। उन पर मैंने पहले भी कहा कि हमने वह कर दिया है तथा सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन में जो और बदलाव करने की आवश्यकता होगी, हम उसको फरदर वहाँ पर और भी एलेबोरेट कर देंगे और मैं भविष्य में माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी भी उपलब्ध करवा दूँगा।

सर, बिल में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, ताकि उनको हम एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकें। हम यह अभी भी लगातार कर रहे हैं और भविष्य में भी इसको करेंगे। सर, यहाँ पर पावर टू सर्च एंड सीज़र की बात की गयी। बहुत सारे टैस्ट्स, लगभग 60 प्रतिशत टैस्ट्स हमें आउट ऑफ कम्पीटीशन करने पड़ते हैं। बैश्य जी बहुत लम्बे समय से खेलों के साथ जुड़े हैं। जैसा इन्होंने बताया, ये टोक्यो ओलम्पिक्स में हमारे शेफ डी मिशन भी थे, ये भली भाँति जानते हैं कि जब आउट ऑफ कम्पीटीशन आपको ऐसी टैस्टिंग करनी पड़ती है और मैटर ऑफ एंटी-डोपिंग रूल वॉयलेशन नहीं हो, तो सर्च एंड सीज़र को कंडक्ट करना होता है। अगर आप उसका प्रावधान नहीं करेंगे, तो उनको ताकत ही नहीं मिलेगी, परन्तु अगर हम सही मायने में डोपिंग को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें वह ताकत कानून में देनी होगी और आज आप इस सदन के माध्यम से उनको यह देने वाले हैं। आप उस दिशा यह भी एक बहुत बड़ा कदम में उठा रहे हैं। दूसरा, इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वाडा के जो नियम हैं, उन्होंने वहाँ से जो सुझाव भी दिये हैं, हम उनके अनुसार ही इसके सर्च एंड सीज़र के रूल्स को लेकर आयेंगे, ताकि यदि कहीं पर एंट्री भी करनी हो, सर्च एंड सीज़र करना हो, तो उनके अनुसार ही करें।

सर, पी.टी. उषा जी चूँकि बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं, देश की सम्मानित खिलाड़ी भी हैं और जैसा उनको 'उड़न परी' कहा गया, उनको उसी नाम से जाना जाता था, मैं धन्यवादी हूँ कि इस सदन की गरिमा पहले मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों के कारण बढ़ी और अब पी.टी. उषा जी के

आने से भी इस सदन की गरिमा बढ़ी है। मैं तो यह भी सौभाग्य मानता हूँ कि हरभजन सिंह, जो क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वे भी आज इस सदन का हिस्सा बने हैं। मुझे आशा है कि वे भविष्य में अलग-अलग समय पर खेलों पर तथा बाकी विषयों पर भी बोलेंगे। यहाँ सचिन तेंदुलकर भी सदस्य रहे, दिलीप तिर्की भी सदस्य रहे एवं अन्य बहुत सारे खिलाड़ी भी सदस्य रहे हैं। उनमें से कुछ लोक सभा में रहे हैं, कुछ राज्य सभा में रहे हैं। धनंजय भीमराव महादिक जी ने कहा कि वे स्वयं खिलाड़ी रहे हैं। मेरा आप सबसे यह अनुरोध रहेगा कि खिलाड़ी तो आए हैं, अगर आप सब भी अपने-अपने क्षेत्रों में अगर खेलों का आयोजन करेंगे, तो बहुत सारे खिलाड़ियों को ऐसे टूर्नामेंट्स में खेल कर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सांसद खेल प्रतिस्पर्धा देश के बहुत सारे राज्यों में माननीय सांसदों ने करवाई, जो बहुत सफल आयोजित हुई है और लाखों उभरते हुए खिलाड़ियों को उसमें खेलने का अवसर मिला है। यदि आपको लगे कि खेल मंत्रालय भी उसमें कुछ कर सकता है, तो आप अवश्य बताइए। हम भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि हर सांसद का खेलों को आगे बढ़ाने में कुछ न कुछ योगदान हो। आपका सहयोग हो और हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बल दे सकें। खेल महाकुंभ गुजरात में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू किया था। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में किया। उसमें लगभग 75 हजार से एक लाख खिलाड़ी केवल मेरे संसदीय क्षेत्र में खेलते हैं। आप कल्पना कीजिए, हमारे दोनों सदनों को मिला कर आठ सौ से ज्यादा सांसद जब यह करेंगे या पूर्व सांसद भी करेंगे, तो देश भर में करोड़ों लोग 'फिट इंडिया' कैम्पेन तथा 'खेलो इंडिया' कैम्पने को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम सबका यह प्रयास होना चाहिए।

सर, माननीय सांसद, जॉन ब्रिटास ने यहाँ पर कहा कि मैं केरल आया, लेकिन उनसे नहीं मिल पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी पिछले दिन तेलंगाना और हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस थी। मैं वहाँ से रात को एक बजे फ्री हुआ, सुबह पाँच बजे की फ्लाइट पकड़ कर कालीकट गया। वहाँ पर जाने के बाद साढ़े नौ, दस बजे पहली मीटिंग करके एक मीडिया हाउस के उद्घाटन पर गया। उसके बाद मैं मीडिया समूह के लोगों से अलग मीटिंग में अलग से मिला, वहाँ पर जिनको बुलाया गया, उनसे मिला, खेल के संघों से मिला। मैंने वहाँ के खेल मंत्री के साथ अलग मीटिंग की, फिर वहाँ के मेयर के साथ अलग मीटिंग की। पी. टी. उषा जी यहाँ पर हैं, वहाँ के जितने खिलाड़ी थे, एक इन्डोर स्टेडियम में उनसे ढाई घंटे तक अलग से मीटिंग की और उसी दिन रात को साढ़े आठ, नौ बजे की जो आखिरी फ्लाइट थी, उससे मैं वापस आया। मैं आगे यह प्रयास करूँगा कि वहाँ पर रात को रुकूँ भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूँ। मेरा यह प्रयास होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूँ।

सर, मैं सदन में यह भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ के खेल मंत्री जी भी आठ घंटे चल कर मुझसे मिलने आए, इसलिए मैं उसको भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की दो दिन की कॉन्फ्रेंस केवड़िया, गुजरात में की, अलग-अलग राज्यों के खेल मंत्री अलग-अलग विचारधाराओं के थे, लेकिन खेल को लेकर सबने इतने बेहतर सुझाव दिए। चाहे वे ओडिशा के हों या छत्तीसगढ़ के हों, वहाँ पर अलग पार्टी की सरकार है, लेकिन सबने खेल के प्रति अपना बहुमूल्य सुझाव देने का काम किया है। मैं केवल एक पार्टी का मंत्री नहीं हूँ, मैं तो यह सोचता हूँ कि मोदी जी ने अवसर दिया है, मैं तो देश के सभी खिलाड़ियों तथा सभी के लिए एक बराबर हूँ। मैं तो यहाँ से उठ कर विपक्ष के लोगों के साथ जाकर बैठता हूँ। राम गोपाल जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, मैं

तो उठ कर उनसे पूछने के लिए चला जाता हूँ ताकि उनके अनुभव से सीखूँ। खरगे सर, जब आप लोक सभा में थे, तब आप इसको वॉच भी किए होंगे। आप वहाँ भी नेता थे और यहाँ पर भी नेता हैं। हमने उस पर भी कभी इस तरह की बातचीत नहीं की।

सर, मैं हब एंड स्पोक मॉडल पर कहूँगा। हम पी. टी. उषा जी पर बात कर रहे थे। हमने हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, जो नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंस रिसर्च है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। लेकिन देश में हमारे जितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस है, हमने हर जगह पर इसका स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया है और हम इसको आगे और मजबूत करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। हमने डाइटरी सप्लीमेंट्स की पहले बात कही कि डोपिंग के नॉन-स्टैंडर्ड डाइट सप्लीमेंट्स को भी टैस्ट करने का प्रावधान नेशनल फोरेंसिक साइंस लैब में हो। यह भी हम करने जा रहे हैं ताकि कोई भी खिलाड़ी या गैर-खिलाड़ी, अगर जिम में भी जाता है, तो कई बार वहाँ पर प्रोटीन का एक डिब्बा रखा होता है, उसको लगता है कि उसके मसल रातों रात बढ़ जाएँगे। उसका नफा क्या है, नुकसान क्या है - भविष्य में यह जानकारी भी मिले, हम उस दिशा में भी काम करने जा रहे हैं।

सर, एक फॉल्स पॉज़िटिव केसेज़ के प्रोसीजर की बात कही गई। इस बिल को लाने के बाद और उससे पहले भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनमें रिमोट पॉसिबिलिटी ऐसी हैं कि ऐसा कुछ होगा - वह भी हम वहाँ पर करने वाले हैं।

सर, प्रोहिबिटेड लिस्ट का मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि उसमें जो प्रोहिबिटेड सब्सटांसेज़ हैं, उनके स्टैंडर्ड और बाकी सब कुछ को एनुअल बेसिस पर, समय-समय पर रिवाइज़ किया जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न बार-बार पूछे गए हैं। सर, एक सवाल और आया कि भारत सरकार बजट क्यों नहीं बढ़ाती है। निश्चित तौर पर, कोई भी खेल प्रेमी होगा, उसे लगेगा कि भारत सरकार को बजट और बढ़ाना चाहिए, लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि 2013-14 में खेलों का बजट 866 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 2,254 करोड़ रुपये कर दिया गया है। Sir, Rs. 866 crores was the Budget in the year 2013-14 which was raised to Rs. 2,250 crores in the current financial year. सर, यही नहीं, इसके साथ-साथ, हमने बहुत सारे बदलाव भी किये हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री जयराम रमेश** (कर्नाटक)**:** सर, एलओपी कुछ कहना चाहते हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे** : आपका बिल सर्वानुमति से पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आज हमारे कॉंग्रेस प्रेज़िडेंट के घर पर दिल्ली पुलिस ने पूरा घेरा डालकर रखा है।

**श्री उपसभापति** : माननीय एलओपी...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे** : और राहुल गाँधी जी के घर पर भी पुलिस ने घेरा डालकर रखा है।

**श्री उपसभापति** : प्लीज़, आप विषय पर बोलिये।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे** : सर, हमने तो इसका वेलकम किया है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... That is nothing. We are supporting it. It will be passed unanimously. ...*(Interruptions)*... लेकिन इस सदन में नहीं बोलूँगा, तो कहाँ बोलूँगा? ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... यह विषय कोई और है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

**सभा के नेता** (**श्री पीयूष गोयल**) : सब अपनी जगह पर अपना काम करते हैं। ...(**व्यवधान**)... यह कोई सदन का विषय नहीं है। ...(**व्यवधान**)... सदन में बहुत व्यवस्थित तरीके से बिल चल रहा है। ...(**व्यवधान**)... कानून अपनी व्यवस्था कर रहा है, अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार के ऊपर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... इस बिल में चर्चा के अलावा, कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे** : सर, हम सदन से वॉकआउट करते हैं।

*(At this stage some hon. Members left the Chamber.)*

**श्री पीयूष गोयल** : जब ऐसे कारनामे करते हैं, उस समय चिंता करनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... ऐसे कारनामे करते हुए चिंता करनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आप आज हमें मत बताइए। ...(**व्यवधान**)... जो कारण है, उस कारण पर चर्चा करिए। ...(**व्यवधान**)... किस कारण से यह कार्रवाई हुई है, उस कारण का जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : माननीय मंत्री जी के रिप्लाई के अलावा, कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री पीयूष गोयल** : *

**श्री उपसभापति** : प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर** : सर, माननीय सांसदों ने पूछा कि खेलों में क्या हुआ? ...(**व्यवधान**)... रुपाला जी, खेलों में क्या हुआ? ...(**व्यवधान**)... वे दूसरे खेल की बात कर रहे हैं, मैं असली खेल की बात कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded

**श्री उपसभापति** : माननीय मंत्री, जी प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर** : सर, मैंने बजट के बारे में बात की कि जहाँ 2013-14 में खेल का बजट मात्र 866 करोड़ था, उसे प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार ने बढ़ाकर 2,254 करोड़ कर दिया है। सर, मैं इस तुलना में नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस बारे में पूछा गया।

दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या खेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर, 2010 से लेकर 2016 तक 342 करोड़ रुपये की लागत से मात्र 62 प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम पिछले कुछ वर्षों में, 2017 से 2022 तक मात्र पाँच वर्षों में 2,753 करोड़ रुपये की लागत से देश भर में 300 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। सर, हम कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, हमने 'द्रोणाचार्य अवॉर्ड' को पाँच लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। इसी तरह से, 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड' को भी साढ़े सात लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही, 'अर्जुन अवॉर्ड' को भी पाँच लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है।

सर, एक बात कही गई कि खिलाड़ियों के आने के बाद सम्मानित किया जाता है, पहले कुछ नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। सर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच भी है और इसका क्रियान्वयन भी धरातल पर किया गया है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसका पहला चेयरमैन बना था। यहाँ पर खिलाड़ी के रहने, खाने, खेलने, ट्रेनिंग, विदेश जाने, देश और विदेश के टूर्नामेंट्स में भाग लेने का पूरा खर्चा मोदी सरकार वहन करती है और साल का छः लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है, ताकि खिलाड़ी को पैसों की चिंता न करनी पड़े, वह खेलों पर ध्यान दे और मेडल जीते। यही कारण है कि टोक्यो ओलम्पिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा, सात मेडल्स भारत ने जीते और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। पैरालम्पिक्स में पिछली बार 19 लोगों का कन्टिन्जेंट था, इस बार भारत के खिलाड़ियों ने 19 मेडल्स जीतने का काम किया। एक तरफ जहाँ उन्होंने डेफलम्पिक्स में 16 मेडल्स जीते, तो वहीं दूसरी ओर आईबीए विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में निकहत ज़रीन ने गोल्ड मेडल जीता और मनीषा मौन एवं परवीन हुड्डा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। सर, थॉमस कप बैडमिंटन में भारत ने 73 सालों में कभी गोल्ड नहीं जीता था, लेकिन इस बार भारत के खिलाड़ियों ने थॉमस कप में भी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। आपने सही कहा कि यह रातों रात नहीं हुआ। चाहे 'टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम' हो, 'खेलो इंडिया' सेंटर्स हों, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सिलेंस हों, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हों या एक्सटेंशन सेंटर्स हों, ये सारे प्रावधान किए गए और बजट में बढ़ोतरी की गई, तभी जाकर हमने खिलाड़ियों का सहयोग भी किया। लेकिन जनरल साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कोई खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है या अगर कोई व्यक्ति युद्ध में भी जाता है, तो उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। सर, जब कारगिल के युद्ध में 'टाइगर हिल्स' पर कब्जा वापस लेना था, तो उससे पहले हमारी फौज का मनोबल किसने बढ़ाया? उस समय फौज के अधिकारी ने तो उनका मनोबल बढ़ाया ही होगा, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब कारगिल युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हुए या जो सैनिक वहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए, उनको देखने के लिए मोदी जी गए थे। प्रधान मंत्री मोदी जी उस समय किसी पद पर नहीं थे, कहीं के मुख्य मंत्री नहीं थे, लेकिन उसके

बावजूद वे उन लोगों का हाल-चाल पूछने गए। वे उनसे मिलने अस्पताल तो गए ही थे, लेकिन जिस बंकर में जाकर वे अपने सैनिकों से मिल रहे थे, वहाँ पर वे लोग ध्यान से रेडियो पर कुछ सुन रहे थे और उन्होंने एकदम से 'भारत माता की जय' करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उस समय अटल जी ने निर्णय लिया था कि मैं देश से बाहर तब तक नहीं जाऊँगा, जब तक भारत-भूमि का एक-एक इंच वापस नहीं ले लूँगा। यह सुनकर जवानों को लगा कि देश के प्रधान मंत्री उनके साथ खड़े हैं।

इसी तरह, आज जब हमारे देश के खिलाड़ी दुनिया की किसी दूसरी धरती पर खेल रूपी युद्ध भूमि में हिस्सा लेने जाते हैं, तो उनके वहाँ जाने से पहले देश के प्रधान मंत्री उनसे बात करके उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं और अगर उस समय पर उनसे बात करनी हो, तो बात भी करते हैं और उनके भारत आने के बाद भी प्रधान मंत्री निवास पर खिलाड़ियों को बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। सर, यह एक बड़ा बदलाव आया है। सर, मैं पिछले 22 सालों से खेलों से जुड़ा हूँ। खेल संघों के अध्यक्ष से लेकर आज खेल मंत्री होने तक मैं जानता हूँ कि कौन, किस समय, कितने लोग मिलते थे। प्रधान मंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ बदला है। उन्होंने सोच बदली है, सुविधाएँ बदली हैं और हमारे खिलाड़ियों ने देश के मान-सम्मान को बढ़ाने और मेडल्स जीतने का काम भी किया है।

दूसरा, हमने 'फिट इंडिया कैम्पेन' को भी आगे बढ़ाया। 'फिटनेस की डोज़, आधा घंटा रोज़', यह हमने पूरे देश भर में चलाया। हमने 'फिट इंडिया क्विज़' भी आयोजित किया। चूंकि सबको जाने की जल्दी होगी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि सबकी इस पर आम सहमति है।

सर, मैं दो बातों पर जरूर ध्यान देना चाहता हूँ। एक माननीय सांसद एक राज्य की बड़ी-बड़ी बातें करके गए। मैं बैठे-बैठे देख रहा था कि आखिर इन्होंने किया क्या है? फिर मैंने सोचा कि चलो, उस राज्य के बजट का प्रावधान कितना है, इसको भी मँगाकर देखा जाए। सर, बजट बढ़ाने की बात तो दूर, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020-21 में खेल का बजट 284 करोड़ रुपये रखा था, जिसमें से मात्र 41 करोड़ रुपये ही खर्च किए। यही नहीं, उन्होंने इसका बजट लगातार कम किया है। उसको कम करते-करते 116 करोड़ किया और अब शायद उसको 108 करोड़ पर ले आए हैं। मैंने वह कागज़ यहीं पर रखा था, उसमें से फिर से पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड पर ठीक आँकड़े जाने चाहिए। सर, उन्होंने दूसरी अन्य बड़ी-बड़ी बातें कीं कि हमने यह किया, हमने वह किया। वे जिस खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं, वह शायद हवा में बना है, क्योंकि वह जमीन पर तो कहीं नज़र नहीं आता है। **...(व्यवधान)...** महोदय, बड़ी बात तो यह है कि जो आरोप वे उत्तर प्रदेश पर लगाकर चले गए हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर बड़ी गम्भीरता के साथ कहता हूं कि टोक्यो ओलम्पिक्स, पैरालम्पिक्स के बाद देश की सरकार ने तो पैसे दिए ही, बल्कि अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करके उनको कैश रिवार्ड्स दिए। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है, जहां के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के खिलाड़ियों को बुलाकर भी करोड़ों रुपये देकर सम्मानित किया। वे मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। ये सारी बातें यहां लानी इसलिए आवश्यक थीं कि देश को जानकारी मिले, कोई गलत आंकड़ा न जाए। जहां तक दिल्ली की सरकार की बात है, इन्होंने लगातार बजट में कटौती ही की है, 280 करोड़ रुपये केवल

दिखावे के लिए था, 40 करोड़ रुपये ही खर्च किए, फिर शायद 115-116 करोड़ रुपये आ गए हैं, वे कितना खर्च कर पाएंगे, मुझे यह नहीं पता है।

महोदय, यहां राजनीतिक रूप से कुछ बातें करने का प्रयास किया गया है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैटर सबज्युडिस भी है। कुछ लोगों को केवल चर्चा में रहने की आदत है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। वे रिप्लाई के समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। इससे पता चलता है कि वे खिलाड़ियों को लेकर कितना गम्भीर हैं। मैं माननीय संजय सिंह जी की बात कर रहा हूं।

दूसरा, मेरा एक अनुरोध और रहेगा। कुछ लोगों ने कहा कि राज्यों में लैब्स बनें। महोदय, जो भी लैब बनेगा, वह 'नाडा' के कानून के अंतर्गत ही बनेगा। मैंने पहले भी कहा है कि एक लैब से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हम चाहेंगे कि देश के अलग-अलग स्थानों पर भविष्य में बढ़ोतरी हो, वहां लैब्स बनें, लेकिन हर राज्य में एकदम से खोलना संभव नहीं हो पाएगा, शायद उतनी आवश्यकता शुरू में न भी हो। लेकिन जो भी बने, क्वालिटी वाला बने। वह न केवल देश के खिलाड़ियों के टैस्ट के लिए उपयोगी हो, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हम National Dope Testing Laboratory को एक आत्मनिर्भर भारत की सोच के अंतर्गत देश और दुनिया के लिए टैस्टिंग लैबोरेटरी बनाने जाएंगे, ताकि दुनिया भर के सैम्पल्स को यहां लाएं और भारत इस दिशा में भी अपना बड़ा नाम कर सके। आप सभी ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, मैं आप सबका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप खेलों में और खेल के बिल में राजनीति नहीं लाए, इसलिए भी आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय जॉन ब्रिटास ने कहा कि क्रिकेट ने बहुत पैसा कमाया, 50 हज़ार करोड़ रुपये कमाए। मैं कहना चाहता हूं कि भारत को इस बात का गर्व होना चाहिए कि दुनिया में जितने देशों में क्रिकेट खेला जाता है, वे भी आज भारत की ओर देखते हैं कि भारत में आकर खेलने का अवसर मिले। इस तरह से भारत ने अपनी ताकत और नाम पूरी दुनिया में बनाया है। जब टोक्यो ओलम्पिक्स में हमारे खिलाड़ी गए, तब बीसीसीआई ने उसमें भी प्रमोशन के लिए पैसा दिया, खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए पैसा दिया।

महोदय, अहमदाबाद में जो स्टेडियम बना है, वह कितना बड़ा स्टेडियम है! क्रिकेट जगत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहीं पर बना है, तो गुजरात में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम बना है। हमें इन बातों पर गर्व करना चाहिए। मैं इन दो बातों पर विशेष रूप से क्यों बात कर रहा हूं? ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : प्लीज़, सीट पर बैठकर बात न करें।

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** एक बात कही गई कि पॉलिटिशियंस स्पोर्ट्स बॉडी को हैड करते हैं। शरद पवार जी क्रिकेट के अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने मुम्बई में क्रिकेट स्टेडियम बनाया। अरुण जेटली जी यहां दिल्ली के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने दिल्ली में स्टेडियम बनाया। खिलाड़ी भी रहे तो उन्होंने भी बनाया। यह व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पर निर्भर करता है कि वह क्या योगदान दे सकता है। न सभी सांसद एक बराबर होंगे, न सभी खेल एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे हो सकते हैं। इसलिए उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वे जिसको चुनना चाहें, चुनें। हम 'National Sports Development Code' लेकर आए हैं, उसके अनुसार उनका

चयन किया जाता है। खेल संघ ऑटॉनमस बॉडीज़ हैं, वे अपने आप लोगों को चुनते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हम खेल और खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और इस बिल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, आप सबने सहयोग दिया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion is over.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, he has taken my name out of context.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go to your seat. ..*(Interruptions)*... This is not your seat; please go to your seat.

6.00 **P.M.**

DR. JOHN BRITTAS: Sir, ..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion is over.

DR. JOHN BRITTAS: Since he has taken my name out of ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go to your seat. ...*(Interruptions)*..

DR. JOHN BRITTAS: Sir, it is my .. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not your seat. ...*(Interruptions)*... Please go to your seat because you have also given the amendments.

**श्री जॉन ब्रिटास**: सर, अनुराग जी ने मुझे रेफर किया है। 'I have a complaint that he didn't meet me while he visited Kerala.' That is not the fact. The fact is that his office called me up and asked me, whether I would be available for a meeting at Calicut in the capacity of Chief Editor and Managing Director of a channel. I said, 'Yes; when my hon. Minister is visiting Kerala, I would be more than happy to meet him.' Then what happened, Sir. A section of the media Heads were not invited, and I wrote a letter to him saying that I would have liked to come for your meeting. So, it is not that he didn't meet me. ...*(Interruptions)*... It is that ...* he avoided a section of the media in Kerala.

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. This is not relevant. ...*(Interruptions)*... Please. No. No. ...*(Interruptions)*... Now I come to the amendment. ...*(Interruptions)*... No, it is not going on record. Please. ...*(Interruptions)*...

I shall now first put the Amendment moved by Dr. John Brittas for reference of National Anti-Doping Bill, 2022 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. चूंकि आपका अमेंडमेंट था, I requested you to be on the seat. वहीं से पेश हो सकता था।

*The motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Anurag Singh Thakur to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisaton International Convention against doping in sport, and compliance of such other obligations and commitments thereunder and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHIARMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments (Nos. 4 and 5) by Dr. John Brittas. Dr. John Brittas, are you moving your Amendments?

DR. JOHN BRITTAS: I am not moving it, Sir.

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clauses 3 to 6 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there are six Amendments; Amendment (No. 1) by Dr. V. Sivadasan, Amendments (Nos. 6 to 9) by Dr. John Brittas and Amendment (No. 22) by Shri A.A. Rahim. Dr. Sivadasan, are you moving your Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): No, Sir, I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, are you moving your Amendments?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I like him so much. So, I don't move it. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim, are you moving your Amendment?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): No, Sir, I am not moving.

*Clause 7 was added to the Bill.*
*Clauses 8 to 10 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 11, there are nine Amendments; Amendment (No. 2) by Dr. V. Sivadasan; Amendments (Nos. 10-14) by Dr. John Brittas; and Amendments (Nos. 23 to 25) by Shri A.A. Rahim. Dr. V. Sivadasan, are you moving your Amendment?

**CLAUSE 11- DISCIPLINARY PANEL**

DR. V. SIVADASAN: Yes, Sir, I am moving. I move:

2. That at page 8, ***after*** line 6, the following be ***inserted***, namely:-

"five members who are nominated from five States by the Minister of Sports of the respective States and the name of the States getting representation shall be determined by draw of lots, with those States selected in the draw of lots being eliminated in the next draw of lots until all States are represented once."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, are you moving your Amendments?

DR. JOHN BRITTAS: No, Sir. I am not moving it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not moving. Shri A.A. Rahim, are you moving your Amendments?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Yes, Sir. I move:

23. That at page 7, ***for*** lines 44 and 45, the following be ***substituted***, namely:-

"(a) a Chairperson, who shall be a legal expert, having not less than ten years of experience as legal practitioner;".

24. That at page 8, ***for*** lines 1 and 2, the following be ***substituted***, namely:-

"(b) four Vice-Chairpersons, who shall be legal experts, having not less than seven years of experience as legal practitioners;".

25. That at page 8, ***for*** lines 5 and 6, the following be ***substituted***, namely:-

"(d) five members, who are sports administrators for not less than five years or eminent athletes who have attended international events.".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now first put the Amendment (No. 2) moved by Dr. V. Sivadasan to vote.

*The motion was negatived.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.23 to 25) moved by Shri A.A. Rahim to vote.

*The motion was negatived.*

*Clause 11 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 12, there are two Amendments (Nos.15 and 16) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendments?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am not moving the Amendments.

*Clause 12 was added to the Bill.*

*Clauses 13 and 14 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 15, there are four Amendments (Nos.17 to 20) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendments?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am not moving the Amendments.

*Clause 15 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 16, there is one Amendment (No.3) by Dr. V. Sivadasan. Are you moving the Amendment?

**CLAUSE 16 - POWERS AND FUNCTIONS OF AGENCY**

DR. V. SIVADASAN : Yes, Sir, I move:

3. That at page 10, ***after*** line 37, the following be ***inserted***, namely:-

"(n) taking steps to introduce courses on anti-doping at graduate and post graduate levels in sports education; and".

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 16 was added to the Bill.*
*Clauses 17 to 33 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 34, there is one Amendment (No.21) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am not moving the Amendment.

*Clause 34 was added to the Bill.*
*Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Anurag Singh Thakur to move that the Bill be passed.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI PIYUSH GOYAL: If the whole House is unanimous, it be recorded that it is unanimous. If everybody agrees!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, it will be seen. Now, Statutory Resolutions - Shri Pankaj Chaudhary to move the Statutory Resolutions.

---

## STATUTORY RESOLUTIONS

### To increase and levy Export duty on certain raw materials and intermediate goods of the steel industry and to prescribe Special Additional Excise Duty on Crude Petroleum and ATF

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**: महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:-

(i) "सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा इस्पात उद्योग के कतिपय कच्चे माल और मध्यवर्ती माल पर निर्यात शुल्क बढ़ाने और उद्ग्रहण करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या 28/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 21 मई, 2022 [सा.का.नि. 380(अ) दिनांक 21 मई, 2022] का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।"

(ii) "वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा कच्चे पेट्रोलियम और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क निर्धारित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची का संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या 05/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 [सा.का.नि. 493(अ) दिनांक 30 जून, 2022] का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।"

*The question was put and the motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions. Dr. John Brittas.

---